



स्टेट बैंक समूह
State Bank Group

नई पूँजी पर्याप्तता संरचना
(बेसल - II)
New Capital Adequacy Framework
(Basel - II)

स्तंभ - III (बाजार अनुशासन)
प्रकटीकरण
Pillar - III (Market Discipline)
Disclosures

भारतीय स्टेट बैंक (समेकित), दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार

तालिका डी एफ-1

कार्यान्वयन क्षेत्र

1. गुणात्मक प्रकटीकरण :

1.1 मूल कंपनी: भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है, जिस पर यह बेसल-II संरचना लागू होती है।

1.2 स्टेट बैंक समूह में शामिल कंपनियां

समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों, जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देश, लेखामानक/आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शक टिप्पणियाँ शामिल हैं, के अनुरूप हैं। स्टेट बैंक समूह में निम्नलिखित अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी हैं।

1.2.1 पूर्णतः समेकित कंपनियां: निम्नलिखित अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यमों (जो अनुषंगियाँ भी हैं) को लेखामानक एएस 21 के अनुसार अक्षरशः समेकित किया गया है।

क्रमांक	अनुषंगी का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1)	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	75.07
2)	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	100.00
3)	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	92.33
4)	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	100.00
5)	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	75.01
6)	एस बी आई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लिमिटेड (28 जुलाई 2011 तक)	100.00
7)	एस बी आई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	100.00
8)	एस बी आई कैप सिव्युरिटीज लिमिटेड	100.00
9)	एस बी आई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	100.00
10)	एस बी आई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	100.00
11)	एस बी आई डी एफ एच आई लिमिटेड	71.56
12)	एस बी आई म्यूचुअल फण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	100.00
13)	एस बी आई ग्लोबल फैंक्टर्स लि.	86.82
14)	एस बी आई पेंशन फंड प्रा. लि.	98.15
15)	एस बी आई - एसजी ग्लोबल सिव्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लि.	65.00
16)	एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	74.00
17)	एस बी आई पैमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	100.00
18)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	100.00
19)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	100.00
20)	एस बी आई (मारीशस) लिमिटेड	93.40
21)	पी टी बैंक एस बी आई इंडोनेशिया	76.00
22)	एस बी आई कैप (यू के) लि.	100.00
23)	एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	60.00
24)	एस बी आई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.	63.00
25)	एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	74.00
26)	कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी. मास्को	60.00
27)	नेपाल एस बी आई बैंक लि.	55.05
28)	एस बी आई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.	63.00
29)	एस बी आई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	100.00

1.2.2 आनुपातिक समेकित कंपनियाँ: जो कंपनियाँ संयुक्त उद्यम हैं, उनका समेकन लेखा मानक-एएस 27 के अनुसार आनुपातिक आधार पर किया गया है।

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1)	सी एज टेक्नोलॉजीस लि.	49.00
2)	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.	40.00
3)	एस बी आई मैक्वैरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	45.00
4)	एस बी आई मैक्वैरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	45.00
5)	मैक्वैरी एस बी आई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लि.	45.00
6)	मैक्वैरी एस बी आई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.	45.00
7)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी पी. लि.	50.00
8)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी पी. लि.	50.00

STATE BANK OF INDIA (CONSOLIDATED) AS ON 31.03.2012

TABLE DF-1
SCOPE OF APPLICATION**1 Qualitative Disclosures**

1.1 **Parent:** State Bank of India is a parent company to which the Basel II Framework applies.

1.2 Entities constituting State Bank Group

The consolidated financial statements of the group conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise the statutory provisions, Regulatory / Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards / guidance notes issued by the ICAI. The following Subsidiaries / Joint Ventures and Associates constitute the State Bank Group:

1.2.1 **Fully Consolidated Entities:** The following Subsidiaries and Joint Ventures (which are also subsidiaries) are fully consolidated on a line by line basis as per Accounting Standard AS 21:

S.No	Name of the Subsidiary	Group's Stake (%)
1)	State Bank of Bikaner & Jaipur	75.07
2)	State Bank of Hyderabad	100.00
3)	State Bank of Mysore	92.33
4)	State Bank of Patiala	100.00
5)	State Bank of Travancore	75.01
6)	SBI Commercial & International Bank Ltd. (upto 28th July, 2011)	100.00
7)	SBI Capital Markets Ltd.	100.00
8)	SBICAP Securities Ltd.	100.00
9)	SBICAP Trustee Company Ltd.	100.00
10)	SBICAPS Ventures Ltd.	100.00
11)	SBI DFHI Ltd.	71.56
12)	SBI Mutual Fund Trustee Company Pvt. Ltd.	100.00
13)	SBI Global Factors Ltd.	86.18
14)	SBI Pension Funds Pvt. Ltd.	98.15
15)	SBI – SG Global Securities Services Pvt. Ltd.	65.00
16)	SBI General Insurance Company Ltd.	74.00
17)	SBI Payment Services Pvt. Ltd.	100.00
18)	State Bank of India (Canada)	100.00
19)	State Bank of India (California)	100.00
20)	SBI (Mauritius) Ltd.	93.40
21)	PT Bank SBI Indonesia	76.00
22)	SBICAP (UK) Ltd.	100.00
23)	SBI Cards and Payment Services Pvt. Ltd.	60.00
24)	SBI Funds Management Pvt. Ltd.	63.00
25)	SBI Life Insurance Company Ltd.	74.00
26)	Commercial Bank of India LLC, Moscow	60.00
27)	Nepal SBI Bank Ltd.	55.05
28)	SBI Funds Management (International) Pvt. Ltd.	63.00
29)	SBICAP (Singapore) Ltd.	100.00

1.2.2 **Pro Rata Consolidated Entities:** The following entities which are Joint Ventures are consolidated pro-rata as per Accounting Standard - AS27:

S.No	Name of the Joint Venture	Group's Stake (%)
1)	C Edge Technologies Ltd.	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.	40.00
3)	SBI Macquarie Infrastructure Management Pvt. Ltd.	45.00
4)	SBI Macquarie Infrastructure Trustee Pvt. Ltd.	45.00
5)	Macquarie SBI Infrastructure Management Pte. Ltd.	45.00
6)	Macquarie SBI Infrastructure Trustee Ltd.	45.00
7)	Oman India Joint Investment Fund-Trustee Company P Ltd	50.00
8)	Oman India Joint Investment Fund-Management Company P Ltd	50.00

- 1.2.3 स्टेट बैंक की सभी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी बैंकों का समेकन किया गया है। इसलिए ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसे समेकन में शामिल न किया गया हो। उपर्युक्त अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों के अलावा, निम्नलिखित सहयोगियों का समेकन लेखा मानक 23 के अनुसार इक्विटी लेखाकरण आधार पर किया गया है।

क्रमांक	सहयोगी का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	35.00
3)	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	35.00
4)	इलाकाई देहाती बैंक	35.00
5)	मेघालय रूरल बैंक	35.00
6)	कृष्णा ग्रामीण बैंक	35.00
7)	लंगपी देहांगी रूरल बैंक	35.00
8)	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	35.00
9)	मिजोरम रूरल बैंक	35.00
10)	नागालैंड रूरल बैंक	35.00
11)	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	35.00
12)	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
13)	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
14)	उत्कल ग्राम्य बैंक	35.00
15)	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	35.00
16)	वर्नांचल ग्रामीण बैंक	35.00
17)	मारवाड़ गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक	26.27
18)	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	35.00
19)	डेक्कन ग्रामीण बैंक	35.00
20)	कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक	32.32
21)	मालवा ग्रामीण बैंक	35.00
22)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	35.00
23)	दि क्लियरिंग कांफेरिशन ऑफ इंडिया लि.	29.22
24)	बैंक ऑफ भूटान लि.	20.00
25)	एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड (परिसमापन प्रक्रियाधीन)	25.05

- 1.3 लेखाकरण एवं विनियामक प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार में अंतर

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित बैंक, समूह की उन कंपनियों को समेकन से बाहर रख सकता है जो बीमा व्यवसाय एवं ऐसे व्यवसाय से जुड़ी हैं जो वित्तीय सेवाओं से संबंधित नहीं हैं। इसलिए समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्टिंग प्रयोजनों से निम्नलिखित संस्थाओं में समूह के निवेशों को लागत आधार पर लिया गया है और उसमें से क्षरण को घटाया गया है, यदि कोई थे।

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह की हिस्सेदारी (%)
1)	सी एज टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड	49.00
2)	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	40.00
3)	एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	74.00
4)	एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	74.00

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण :

- 2.1 सभी अनुषंगियों की पूंजी अभाव की कुल राशि को समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात् इन्हें हटा दिया गया है एवं ऐसी अनुषंगियों का नाम (के नाम) : **कोई नहीं**
- 2.2 बीमा कंपनियों में बैंक के कुल हिस्से की कुल राशियाँ (अर्थात् वर्तमान बही-मूल्य) जो जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन या निवास का देश, स्वामित्व हिस्से का अनुपात, और यदि भिन्न हो तो इन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात और इसके अतिरिक्त इस पद्धति की तुलना में कटौती पद्धति का उपयोग करने पर विनियामक पूंजी पर परिमाणत्मक प्रभाव को सूचित करता है:

1)	नाम	: एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई
	निगमन देश	: भारत
	स्वामित्व हिस्सा	: ₹ 740 करोड़ (74%)
2)	नाम	: एस बी आई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	निगमन देश	: भारत
	स्वामित्व हिस्सा	: ₹ 111 करोड़ (74%)

विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव :

समेकन पद्धति के अधीन : लागू नहीं

कटौती पद्धति के अधीन : पूंजी पर्याप्तता की गणना के प्रयोजन से बीमा अनुषंगी में किए गए कुल निवेश को बैंक की पूंजी निधियों में से घटाया गया है।

1.2.3 All the Subsidiaries, Joint Ventures and Associates of State Bank are consolidated. Hence there is no entity which is excluded from consolidation. In addition to the above mentioned Subsidiaries and Joint Ventures, the following Associates are consolidated as per Equity Accounting in terms of AS 23:

S.No	Name of the Associate	Group's Stake (%)
1)	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	35.00
2)	Arunachal Pradesh Rural Bank	35.00
3)	Chhatisgarh Gramin Bank	35.00
4)	Ellaquai Dehati Bank	35.00
5)	Meghalaya Rural Bank	35.00
6)	Krishna Grameena Bank	35.00
7)	Langpi Dehangi Rural Bank	35.00
8)	Madhya Bharat Gramin Bank	35.00
9)	Mizoram Rural Bank	35.00
10)	Nagaland Rural Bank	35.00
11)	Parvatiya Gramin Bank	35.00
12)	Purvanchal Kshetriya Gramin Bank	35.00
13)	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	35.00
14)	Utkal Gramya Bank	35.00
15)	Uttaranchal Gramin Bank	35.00
16)	Vananchal Gramin Bank	35.00
17)	Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank	26.27
18)	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	35.00
19)	Deccan Grameena Bank	35.00
20)	Cauvery Kalpatharu Grameena Bank	32.32
21)	Malwa Gramin Bank	35.00
22)	Saurashtra Grameena Bank	35.00
23)	The Clearing Corporation of India Ltd	29.22
24)	Bank of Bhutan Ltd.	20.00
25)	SBI Home Finance Ltd. (under liquidation process)	25.05

1.3 Differences in basis of consolidation for accounting and regulatory purposes

In terms of Regulatory guidelines, the consolidated bank may exclude from consolidation, group companies which are engaged in insurance business and business not pertaining to financial services. Hence, the Groups' investments in the under mentioned entities are taken at cost less impairment, if any, for Consolidated Prudential Reporting purposes.

S.No	Name of the Joint Venture	Group's Stake (%)
1)	C Edge Technologies Ltd.	49.00
2)	GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.	40.00
3)	SBI Life Insurance Company Ltd	74.00
4)	SBI General Insurance Company Ltd	74.00

2. Quantitative Disclosures:

2.1 The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries:
Nil

2.2 The aggregate amount (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities in addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction:

- 1) Name : **SBI Life Insurance Co. Ltd.**
Country of Incorporation : **India**
Ownership interest : **₹ 740 crores (74%)**
- 2) Name : **SBI General Insurance Co. Ltd.**
Country of Incorporation : **India**
Ownership interest : **₹ 111 crores (74%)**

Quantitative Impact on the regulatory capital:

Under consolidation method : Not Applicable

Under deduction method: Entire investments made in the Insurance subsidiaries are reduced from Capital Funds of the Bank, for the purpose of Capital Adequacy calculation.

तालिका डीएफ - 2 पूँजी संरचना					
गुणात्मक प्रकटीकरण (क) सारांश					
पूँजी का प्रकार	विशेषताएँ				
ईक्विटी (श्रेणी-I)	दिनांक 30 मार्च 2012 को बैंक ने भारत सरकार को अधिमानी पूँजी के अंतर्गत प्रति शेयर ₹10 और प्रति शेयर ₹2,181.69 के प्रीमियम से ₹7,900 करोड़ के 3,60,45,243 शेयर आबंटित किए। भारत सरकार से प्राप्त ₹7,900 करोड़ के कुल अभिदान में से, ₹36.05 करोड़ की राशि को शेयर पूँजी खाते में और ₹7,863.95 करोड़ की राशि को पूँजी शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किया गया। वर्ष के दौरान एसबीबीजे ने राइट ईक्विटी इश्यू के रूप में ₹780 करोड़ की राशि जुटायी, जिसमें से भारतीय स्टेट बैंक ने ₹585 करोड़ की राशि के रूप में निवेश किया है। "एसबीआई कॉमर्शियल एण्ड इंटरनेशनल बैंक लि. के अधिग्रहण आदेश, 2011" के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद, एसबीआई कॉमर्शियल एण्ड इंटरनेशनल बैंक लि. (एसबीआईसीआई) का उपक्रम दिनांक 29 जुलाई 2011 से भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) को हस्तांतरित और निहित हो गया है।				
नवोन्मेषी लिखत (श्रेणी-I)	वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान न तो भारतीय स्टेट बैंक ने और न ही देशी तथा विदेशी अनुबंधियों ने नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतों (आईपीडीआई) के जरिये कोई पूँजी जुटायी है। एसबीआई समूह ने आज की तारीख तक ₹7,070 करोड़ के नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत जारी किए हैं, जिसमें से ₹6520 करोड़ की राशि विनियामक पूँजी के रूप में पात्र है।				
श्रेणी-II	एसबीआई और उसकी अनुबंधियों ने उच्चतर एवं न्यूनतर टियर-II पूँजी जुटाई। प्राइवेट प्लेसमेंट/रिटेल पार्टिसिपेशन के माध्यम से जुटाए गए गौण ऋण अप्रतिभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय और सममूल्य पर प्रतिदेय हैं। यह ऋण बैंक वर्तमान और भावी बृहत् ऋणों का ही हिस्सा है और टियर-II पूँजी में शामिल किए जाने योग्य है। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने श्रेणी-II पूँजी के कोई भी लिखत जारी नहीं किए हैं। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान एसबीबीजे और एसबीटी में दोनों में से प्रत्येक ने न्यूनतर एवं उच्चतर श्रेणी-II बॉण्डों के रूप में ₹500 करोड़ की राशि जुटायी। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान एसबीआई कार्ड्स और एसबीआई ग्लोबल फैंक्टर्स ने क्रमशः ₹50 करोड़ और ₹100 करोड़ के गौण ऋण जुटाए। विदेशी अनुबंधियों की श्रेणी-II पूँजी में मुख्यतः सामान्य प्रावधान शामिल हैं। वर्ष के दौरान नेपाल एसबीआई बैंक लि. ने 10 वर्षीय अप्रतिभूत डिबेंचर 12.5% नेपाल एसबीआई बैंक डिबेंचर 2078, जो 23.01.2022 को परिपक्व होंगे (नेपाल करंसी में 40 करोड़ नेपाली रुपए) जारी करके श्रेणी-II पूँजी के रूप में ₹25 करोड़ जुटाए।				
गुणात्मक प्रकटीकरण : भारतीय स्टेट बैंक ने देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से समिश्र श्रेणी-I पूँजी तथा उच्चतर एवं न्यूनतर श्रेणी-II गौण ऋण लिया है। नवोन्मेषी, वैविध्यपूर्ण अथवा समिश्र पूँजी लिखतों के मामले में सभी पूँजीगत लिखतों की प्रमुख विशेषताओं की शर्तों का सार निम्नानुसार है :					
पूँजी का प्रकार	प्रमुख विशेषताएँ				
ईक्विटी	₹ 671.04 करोड़ वित्त वर्ष 11-12 के दौरान, श्रेणी-I ईक्विटी पूँजी के रूप में ₹7,900 करोड़ जुटाये गए, जिसमें से शेयर पूँजी खाते और शेयर प्रीमियम खाते में क्रमशः ₹36.05 करोड़ और ₹7,863.95 करोड़ अंतरित किए गए।				
नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत	जारी करने की तारीख	राशि	अवधि (मास)	कूपन (% वार्षिक वार्षिक आधार पर देय)	रेटिंग
	15.02.07	400 मिलियन अमरीकी डॉलर ₹ 2,035.04 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष 3 मास अर्थात 15.05.2017 के बाद क्रय का विकल्प (कॉल ऑप्शन) और 100 आधार अंकों की वृद्धि का विकल्प (स्टेप अप ऑप्शन)	6.439%	बीए3-मूडी बीबी-एस एंड पी
	26.06.07	225 मिलियन अमरीकी डॉलर ₹ 1,144.72 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 27.06.2017 के बाद क्रय का विकल्प और 100 आधार अंकों की वृद्धि	7.140%	बीए3-मूडी बीबी - एस एंड पी
	14.08.09	₹ 1000 करोड़*	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 14.08.2019 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार अंकों की वृद्धि, यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता	9.10% वार्षिक पहले 10 वर्षों के लिए	एएए - क्रिसिल एएए - केयर
	27.01.10	₹ 1000 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 27.01.2020 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार अंकों की वृद्धि, यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता	9.05% वार्षिक पहले 10 वर्षों के लिए	एएए - क्रिसिल एएए - केयर
	28.09.07	₹ 165 करोड़	बेमीयादी 10 वर्ष अर्थात 28.09.2017 के बाद क्रय का विकल्प और 50 आधार अंकों की वृद्धि, यदि क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता	10.25% वार्षिक पहले 10 वर्षों के लिए	एएए - क्रिसिल एएए - केयर
*अगस्त 2009 में जुटाई गई ₹1,000 करोड़ की राशि में से ₹450 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार बैंक द्वारा टियर-I पूँजी के रूप में शामिल किए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, भारतीय स्टेट बैंक के निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने ₹1,745 करोड़ की कुल राशि के नए बेमीयादी कर्ज लिखत जुटाए। इनमें एसबीबीजे का हिस्सा ₹ 200 करोड़, एसबीएच का ₹685 करोड़, एसबीएम का ₹260 करोड़, एसबीपी का ₹300 करोड़ और एसबीटी का ₹300 करोड़ था। 20 जनवरी 2011 से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा जारी किए जानेवाले नए टियर -I और टियर - II पूँजीगत लिखतों में वृद्धि के विकल्प (स्टेप अप ऑप्शन) का प्रयोग समाप्त कर दिया है। पर क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा जिसके लिए लिखत कम से कम 10 वर्ष तक चली होनी चाहिए।					
उच्च श्रेणी II गौण ऋण	लिखत का प्रकार : अप्रतिभूत, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय, वचन-पत्र जैसे उच्च श्रेणी II गौण बांड। विशेषताएँ : i) निवेशकों द्वारा कोई विकल्प विकल्प नहीं। ii) 10 वर्ष बाद बैंक द्वारा क्रय विकल्प। iii) स्टेप-अप ऑप्शन : 20 जनवरी 2011 से भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले नए टियर - I और नए टियर - II पूँजीगत लिखतों में स्टेप-अप ऑप्शन का प्रयोग समाप्त कर दिया है। iv) लॉक-इन-क्लॉज : यदि सीएआर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक सीएआर के नीचे है, तो बैंक का मूल राशि पर या तो अवधि ब्याज या अवधि समाप्ति पर मूल राशि के भुगतान का दायित्व नहीं होगा। तथापि, जहाँ तक बैंक न्यूनतम विनियामक सीएआर बनाए रखता है, निश्चित समय पर बैंक आवधिक ब्याज नहीं लगाएगा।				

TABLE DF-2 CAPITAL STRUCTURE					
Qualitative Disclosures					
(a) Summary					
Type of Capital	Features				
Equity (Tier-I)	<p>The Bank has allotted 3,60,45,243 shares of ₹10 each for cash at a premium of ₹2,181.69 per equity share aggregating to ₹7,900 crores under Preferential Capital to Government of India on 30th March, 2012. Out of the total subscription of ₹7,900 crores received from Gol, an amount of ₹36.05 crores was transferred to Share Capital Account and ₹7,863.95 crores to Capital Share Premium Account.</p> <p>During the year SBBJ raised ₹780 crores by way of Rights Equity Issue, out of which SBI infused an amount of ₹585 crores.</p> <p>Consequent to the notification of the "Acquisition of State Bank of India Commercial & International Bank Ltd Order, 2011" issued by the Govt. of India, the undertaking of State Bank of India Commercial & International Bank Ltd. (SBICI) stands transferred to and vests in State Bank of India ("the Bank"), with effect from July 29, 2011, the effective date.</p>				
Innovative Instruments (Tier-I)	<p>Neither SBI nor Domestic & Foreign Subsidiaries have raised Capital by way of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDIs) during FY11-12.</p> <p>The SBI Group has issued IPDIs to the tune of ₹ 7,070 crores till date, out of which ₹ 6,520 crores qualify as Regulatory Capital.</p>				
Tier-II	<p>SBI and its Subsidiaries have raised Upper as well as Lower Tier II Capital. The subordinated debts raised through Private Placement / Retail Participation are unsecured, long term, non-convertible and are redeemable at par. The debt is subordinated to present and future senior indebtedness of the Bank and qualifies for Tier II Capital.</p> <p>SBI did not issue any Tier II Capital instruments during FY11-12.</p> <p>SBBJ & SBT have raised ₹500 crores each by way of Lower and Upper Tier II Bonds respectively during FY11-12.</p> <p>SBI Cards and SBI Global Factors Ltd. have raised subordinated debt of ₹50 crores and ₹100 crores respectively during FY11-12.</p> <p>Tier II capital of Foreign Subsidiaries mainly comprises of General provisions. During the year, Nepal SBI Bank Ltd. has raised Tier II Capital of ₹25 crores by issuing 10 years unsecured debentures – "12.5% Nepal SBI Bank Debenture 2078" maturing on 23.01.2022 (equivalent of Nepali Currency, NR 40 crores).</p>				
Qualitative Disclosures:					
State Bank of India has raised Hybrid Tier I Capital and Upper & Lower Tier II Subordinated Debt in the Domestic and International Markets. Summarized information on the terms and conditions of the main features of these instruments, especially in the case of innovative, complex or hybrid capital instruments are as under:					
Type of capital	Main features				
Equity	<p>₹ 671.04 crores.</p> <p>During FY11-12, ₹ 7,900 crores was raised by way of Tier I Equity Capital, out of which accretion to Share Capital and Share Premium is ₹ 36.05 crores and ₹ 7,863.95 crores respectively.</p>				
Innovative Perpetual Debt Instruments	Date of Issue	Amount	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
	15.02.07	USD 400 mn ₹ 2,035.04 crores	Perpetual with a Call Option after 10 yrs 3 months i.e. on 15.05.17 and step up of 100 bps	6.439%	Ba3 Moody's BB - S & P
	26.06.07	USD 225 mn ₹ 1,144.72 crores	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 27.06.17 and step-up of 100 bps	7.140%	Ba3 Moody's BB - S & P
	14.08.09	₹ 1,000 crores*	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 14.08.19 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	9.10% p.a. for the first 10 years	AAA-CRISIL AAA-CARE
	27.01.10	₹ 1,000 crores	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 27.01.20 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	9.05% p.a. for the first 10 years	AAA-CRISIL AAA-CARE
	28.09.07	₹ 165 crores	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 28.09.17 and step-up of 50 bps, if Call Option is not exercised	10.25% p.a. for the first 10 years	AAA-CRISIL AAA-CARE
<p>*Out of ₹ 1,000 crores raised in August 2009, only ₹ 450 crores has been reckoned as Tier I Capital by the Bank.</p> <p>Apart from SBI, the following Associate Banks have raised Innovative Perpetual Debt Instruments aggregating ₹ 1,745 crores- SBBJ: ₹ 200 crores; SBH: ₹ 685 crores; SBM: ₹ 260 crores, SBP: ₹ 300 crores and SBT: ₹ 300 crores.</p> <p>With effect from 20th January 2011, the RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks. However Call option may continue to be exercised after the instrument has run for at least 10 years.</p>					
Upper Tier II Subordinated Debt	<p>Type of Instrument: Unsecured, Redeemable Non-convertible, Upper Tier II Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes</p> <p>Special features:</p> <p>i) No Put Option by the Investors.</p> <p>ii) Call Option by the Bank after 10 years.</p> <p>iii) Step-up Option: With effect from 20th January 2011, RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks.</p> <p>iv) Lock-in-Clause: Bank shall not be liable to pay either period interest on principal or even principal at maturity, if CAR of the Bank is below the minimum regulatory CAR prescribed by RBI. However, this will not preclude the Bank from paying periodical interest, as long as the Bank maintains the minimum Regulatory CAR, at the material time.</p>				

जारी करने की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि (मास)	कूपन (% वार्षिक रूप से देय)	रेटिंग
05.06.06	2,328	180	8.80%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
06.07.06	500	180	9.00%	एएए-क्रिसिल
12.09.06	600	180	8.96%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
13.09.06	615	180	8.97%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
15.09.06	1,500	180	8.98%	एएए-क्रिसिल
04.10.06	400	180	8.85%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.10.06	1,000	180	8.88%	एएए-क्रिसिल
17.02.07	1,000	180	9.37%	एएए-क्रिसिल
07.06.07	2,523	180	10.20%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
12.09.07	3,500	180	10.10%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
19.12.08	2,500	180	8.90%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
02.03.09	2,000	180	9.15%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
06.03.09	1,000	180	9.15%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
29.12.06	100	180	8.95%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
22.03.07	200	180	10.25%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
24.03.09	250	180	9.17%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर

न्यूनतर श्रेणी II
गौण ऋण

लिखत का प्रकार : अप्रतिभूत, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय, वचन पत्र जैसे न्यूनतर श्रेणी II के गौण बांड।

विशेषताएँ :

- निवेशकों द्वारा कोई विकल्प नहीं।
- 20 जनवरी 2011 से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा टियर -I और टियर II के जारी किए गए नए पूंजीगत लिखतों के मामले में स्टेप अप ऑप्शन को समाप्त कर दिया है।
- यदि लिखत कम से कम 5 वर्ष चली है, तो क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।

जारी करने की तारीख	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि (माह)	कूपन (% प्रति वर्ष वार्षिक अवधि में देय)	रेटिंग
05.12.05	3283	113	7.45%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
09.03.06	200	111	8.15%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
28.03.07	1500	111	9.85%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
31.03.07	225	111	9.80%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
29.12.08	1500	114	8.40%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
06.03.09	1000	111	8.95%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
15.02.05	200	111	7.20%	एएए-क्रिसिल
29.09.05	140	120	7.45%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
28.03.06	110	120	8.70%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
04.11.10	133.08*	120	9.25%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
04.11.10	866.92*	180	9.50%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	559.40*	120	9.75%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	171.68*	120	9.30%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	3937.59*	180	9.95%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर
16.03.11	828.32*	180	9.45%	एएए-क्रिसिल, एएए-केयर

* एस बी आई द्वारा खुदरा सहभागिता के माध्यम से वित्त वर्ष 2010-11 की तीसरी तिमाही के दौरान जुटाए गए। दिनांक 04.11.10 को जारी बांडों के लिए अवधि-समाप्ति के पिछले पांच वर्षों के दौरान 50 आधार अंकों के साथ स्टेप अप ऑप्शन उपलब्ध है। यह ऑप्शन तभी उपलब्ध होगा यदि बैंक द्वारा क्रमशः 5 तथा 10 वर्षों के बाद क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता। दिनांक 16.03.11 को जारी बांडों पर स्टेप अप ऑप्शन उपलब्ध नहीं है।

एसबीआई से संबंधित उपर्युक्त ₹ 14,655 करोड़ के न्यूनतर श्रेणी-II बांडों में से ₹ 12,696.80 करोड़ की 31.03.2012 को एसबीआई द्वारा न्यूनतर श्रेणी-II पूंजी के रूप में गणना की गई है।

एसबीआई के अलावा, अनुबंधित न्यूनतर श्रेणी-II बांडों के रूप में निम्नानुसार पूंजीगत निधियाँ जुटाई

- देश में स्थित सहयोगी बैंकिंग अनुबंधितों द्वारा ₹ 4,705 करोड़ की कुल राशि के बांड जुटाए गए: एसबीबीजे ₹ 1,500 करोड़; एसबीएच ₹ 1,210 करोड़; एसबीएम ₹ 425 करोड़; एसबीपी ₹ 750 करोड़ और एसबीटी ₹ 820 करोड़। (उपर्युक्त में से, ₹ 3,223 करोड़ को न्यूनतर श्रेणी II पूंजीगत बाण्डों के रूप में समझा गया है)। वित्त वर्ष 11-12 के दौरान एसबीबीजे ने ₹ 500 करोड़ जुटाए।
- देशीय गैर-बैंकिंग अनुबंधितों द्वारा ₹ 454.80 करोड़ की कुल राशि के बांड जुटाए गए - एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लि. ₹ 280 करोड़ और एसबीआई कार्ड्स ₹ 174.80 करोड़ (उपर्युक्त में से ₹ 354.24 करोड़ को विनियामक पूंजी के रूप में शामिल किया गया है)।
- विदेश स्थित अनुबंधितों में एसबीआई कनाडा में न्यूनतर श्रेणी-II पूंजीगत बाण्डों की कुल राशि ₹ 102.09 करोड़ रही (वित्त वर्ष के दौरान 10-11 जुटायी गई)।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

ख)	श्रेणी-I पूंजी	1,07,411
	• चुकता शेयर पूंजी	671
	• आरक्षितियाँ (रिज़र्व)	1,02,154
	• नवोन्मेषी लिखतें	6,520
	• अन्य पूंजीगत लिखत	0
	• श्रेणी-I पूंजी में से घटाई गई राशि गुडविल और निवेशों सहित	1,935
ग)	श्रेणी-II पूंजी की कुल राशि (श्रेणी-II पूंजी में से कटौतियाँ घटाने के पश्चात)	44,845
घ)	उच्च श्रेणी-II पूंजी में शामिल करने योग्य ऋण पूंजी लिखत:	
	• कुल बकाया राशि	25,336
	• वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाए गए	525
	• पूंजीगत निधियों के रूप में शामिल करने योग्य राशि	25,336
ड)	न्यूनतर श्रेणी-II में शामिल करने योग्य गौण ऋण	19,707
	• कुल बकाया राशि	0
	• वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाए गए	16,398
	• पूंजीगत निधियों के रूप में शामिल करने योग्य	0
च)	पूंजी में से अन्य कटौतियाँ यदि कोई हों	
छ)	कुल पात्र पूंजी	

	Date of Issue	Amount (₹ crores)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
	05.06.06	2,328	180	8.80%	AAA CRISIL, AAA CARE
	06.07.06	500	180	9.00%	AAA CRISIL
	12.09.06	600	180	8.96%	AAA CRISIL, AAA CARE
	13.09.06	615	180	8.97%	AAA CRISIL, AAA CARE
	15.09.06	1,500	180	8.98%	AAA CRISIL
	04.10.06	400	180	8.85%	AAA CRISIL, AAA CARE
	16.10.06	1,000	180	8.88%	AAA CRISIL
	17.02.07	1,000	180	9.37%	AAA CRISIL
	07.06.07	2,523	180	10.20%	AAA CRISIL, AAA CARE
	12.09.07	3,500	180	10.10%	AAA CRISIL, AAA CARE
	19.12.08	2,500	180	8.90%	AAA CRISIL, AAA CARE
	02.03.09	2,000	180	9.15%	AAA CRISIL, AAA CARE
	06.03.09	1,000	180	9.15%	AAA CRISIL, AAA CARE
	29.12.06	100	180	8.95%	AAA CRISIL, AAA CARE
	22.03.07	200	180	10.25%	AAA CRISIL, AAA CARE
	24.03.09	250	180	9.17%	AAA CRISIL, AAA CARE

Lower Tier II Sub - Debt

Type of Instrument: Unsecured, Redeemable Non-convertible, Lower Tier II Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes.

Special features:

I) No Put Option by the investors.

II) With effect from 20th January 2011, RBI has discontinued the Step up Option in case of issue of new Tier I and Tier II Capital Instruments by the Banks Not redeemable without the consent of RBI.

III) Call option can be exercised after the instrument has run for atleast 5 years.

Date of Issue	Amount (₹ crores)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
05.12.05	3,283	113	7.45%	AAA CRISIL, AAA CARE
09.03.06	200	111	8.15%	LAAA ICRA, AAA CARE
28.03.07	1,500	111	9.85%	AAA CRISIL, AAA CARE
31.03.07	225	111	9.80%	LAAA ICRA, AAA CARE
29.12.08	1,500	114	8.40%	AAA CRISIL, AAA CARE
06.03.09	1,000	111	8.95%	AAA CRISIL, AAA CARE
15.02.05	200	111	7.20%	AAA CRISIL
29.09.05	140	120	7.45%	AAA CRISIL, LAAA ICRA
28.03.06	110	120	8.70%	AAA CRISIL, LAAA ICRA
04.11.10	133.08*	120	9.25%	AAA CRISIL, AAA CARE
04.11.10	866.92*	180	9.50%	AAA CRISIL, AAA CARE
16.03.11	559.40*	120	9.75%	AAA CRISIL, AAA CARE
16.03.11	171.68*	120	9.30%	AAA CRISIL, AAA CARE
16.03.11	3,937.59*	180	9.95%	AAA CRISIL, AAA CARE
16.03.11	828.32*	180	9.45%	AAA CRISIL, AAA CARE

* Raised by SBI during Q3FY10-11 through Retail Participation. The bonds issued on 04.11.10 have a step up option of 50 basis points during the last five years of their maturity in case the Bank does not exercise the call option after 5 years and 10 years respectively. The bonds issued on 16.03.11 do not carry Step Up Option.

Out of the above ₹ 14,655 crores pertaining to SBI in the form of Lower Tier II Bonds, ₹ 12,696.80 crores have been reckoned as Lower Tier II capital by SBI as on 31.03.2012.

Apart from SBI, the following Subsidiaries have raised Capital Funds by way of Lower Tier II :

1) Domestic Associate Banking Subsidiaries have raised bonds aggregating to ₹ 4,705 crores SBBJ: ₹ 1,500 crores; SBH: ₹ 1,210 crores; SBM: ₹ 425 crores; SBP: ₹ 750 crores and SBT: ₹ 820 crores. (Out of the above, ₹ 3,223 crores is reckoned as Lower Tier II Capital Bonds). During FY11-12, SBBJ raised ₹ 500 crores.

2) Domestic Non-Banking Subsidiaries have raised bonds aggregating to ₹ 454.80 crores - SBI Global Factors Ltd ₹ 280 crores and SBI Cards ₹ 174.80 crores. (Out of the above ₹ 354.24 crores is reckoned as regulatory capital).

3) Among the Foreign Subsidiaries, SBI Canada has Lower Tier II Bonds aggregating ₹ 102.09 crores. (Raised during FY10-11).

Quantitative Disclosures

(₹ in crores)

(b)	Tier-I Capital	1,07,411
	• Paid-up Share Capital	671
	• Reserves	1,02,154
	• Innovative Instruments	6,520
	• Other Capital Instruments	0
	• Amt deducted from Tier-I Cap including Goodwill and investments	1,935
(c)	The total amount of Tier-2 Capital (Net of deductions from Tier II Capital)	44,845
(d)	Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier-2 Capital	
	• Total amount outstanding	25,336
	• Of which raised during Current Year	525
	• Amount eligible to be reckoned as Capital funds	25,336
(e)	Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier-2 Capital:	
	• Total amount outstanding	19,707
	• Of which raised during Current Year	0
	• Amount eligible to be reckoned as Capital funds	16,398
(f)	Other Deductions from Capital if any	0
(g)	Total Eligible Capital	1,52,256

तालिका डीएफ-3 :
पूँजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

<p>(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूँजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन</p>	<ul style="list-style-type: none"> भारतीय रिज़र्व बैंक की नई पूँजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक और उसकी बैंकिंग अनुषंगियां वार्षिक आधार पर आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) शुरू करती है। इस आईसीएएपी में पूँजी आयोजन प्रक्रिया का ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूँजी अपेक्षा और तनाव परीक्षण शामिल करते हुए एक मूल्यांकन किया जाता है। <ul style="list-style-type: none"> ऋण जोखिम परिचालन जोखिम चलनिधि जोखिम अनुपालन जोखिम पेंशन निधि दायित्व जोखिम प्रतिष्ठा जोखिम ऋण जोखिम अल्पीकरणों से अवशिष्ट जोखिम निपटान जोखिम बाजार जोखिम ऋण केन्द्रीकरण जोखिम बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम देश जोखिम नव व्यवसाय जोखिम कार्यनीतिक जोखिम कन्टेजन जोखिम प्रतिभूतिकरण जोखिम अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में एसबीआई के अनुमानित निवेशों और एसबीआई और उसकी अनुषंगियों (देशी/विदेशी) द्वारा अग्रिमों में प्राप्त की गई संवृद्धि को ध्यान में रखते हुए और 3 से 5 वर्ष की अवधि में पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समूह के लिए अलग अलग किया जाता है। 3 से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित 9% की पूँजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूँजी बनाए रखने की आवश्यकता पड़ने पर अपने पूँजीगत संसाधन बढ़ाने के लिए बैंक के पास विकल्प हैं जैसे गौण ऋण नवोन्मेषी बेमीयादी कर्ज लिखत जो ईक्विटी के अलावा उपलब्ध हैं। विदेशी अनुषंगियों से संबंधित कार्यनीतिक पूँजीगत योजना में आस्तियों की संवृद्धि के लिए पूँजी की आवश्यकता और विभिन्न स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करते हुए अपेक्षित पूँजी का मूल्यांकन करना शामिल होता है। अलग-अलग अनुषंगियों की श्रेणी-I और श्रेणी-II की पूँजी जुटाने की क्षमता के बारे में संतुष्टि कर लेने के बाद पूँजी बढ़ाने की योजना का अनुमोदन मूल बैंक द्वारा किया जाता है जिससे पूँजी का स्तर बढ़ाने और पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बनाए रखने में सहायता मिल सके। 																																										
<p>मात्रात्मक प्रकटीकरण (ख) ऋण जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता</p> <ul style="list-style-type: none"> मानकीकृत पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो निवेश प्रतिभूतिकरण 	<p>₹ 88,074.34 करोड़</p> <p>शून्य</p> <p>कुल ₹ 88,074.34 करोड़</p>																																										
<p>(ग) बाजार जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता (* मानकीकृत अवधि पद्धति)</p> <ul style="list-style-type: none"> ब्याज दर जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) ईक्विटी जोखिम 	<p>₹ 2,836.01 करोड़</p> <p>₹ 108.46 करोड़</p> <p>₹ 1,432.53 करोड़</p> <p>योग ₹ 4,377.00 करोड़</p>																																										
<p>(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता:</p> <ul style="list-style-type: none"> मूल संकेतक पद्धति 	<p>₹ 7,918.10 करोड़</p> <p>योग ₹ 7,918.10 करोड़</p>																																										
<p>(ङ) योग और श्रेणी-I पूँजी का अनुपात:</p> <ul style="list-style-type: none"> शीर्ष समेकित समूह के लिए, तथा बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (स्टैंड एलोन) 	<p>दिनांक 31.03.2012 को पूँजी पर्याप्तता अनुपात</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>श्रेणी I (%)</th> <th>योग (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>एसबीआई समूह</td><td>9.65</td><td>13.68</td></tr> <tr><td>भारतीय स्टेट बैंक</td><td>9.79</td><td>13.86</td></tr> <tr><td>स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर</td><td>9.76</td><td>13.76</td></tr> <tr><td>स्टेट बैंक आफ हैदराबाद</td><td>9.62</td><td>13.56</td></tr> <tr><td>स्टेट बैंक आफ मैसूर</td><td>9.15</td><td>12.55</td></tr> <tr><td>स्टेट बैंक आफ पटियाला</td><td>8.60</td><td>12.30</td></tr> <tr><td>स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर</td><td>9.35</td><td>13.55</td></tr> <tr><td>एसबीआई इंटरनेशनल (मारीशस) लि.</td><td>17.16</td><td>17.70</td></tr> <tr><td>स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)</td><td>27.51</td><td>32.95</td></tr> <tr><td>स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलिफोर्निया)</td><td>17.38</td><td>18.53</td></tr> <tr><td>कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को</td><td>36.24</td><td>36.24</td></tr> <tr><td>पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया</td><td>12.97</td><td>13.59</td></tr> <tr><td>नेपाल एसबीआई बैंक लि.</td><td>8.26</td><td>10.40</td></tr> </tbody> </table>		श्रेणी I (%)	योग (%)	एसबीआई समूह	9.65	13.68	भारतीय स्टेट बैंक	9.79	13.86	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	9.76	13.76	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	9.62	13.56	स्टेट बैंक आफ मैसूर	9.15	12.55	स्टेट बैंक आफ पटियाला	8.60	12.30	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	9.35	13.55	एसबीआई इंटरनेशनल (मारीशस) लि.	17.16	17.70	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	27.51	32.95	स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	17.38	18.53	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	36.24	36.24	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	12.97	13.59	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	8.26	10.40
	श्रेणी I (%)	योग (%)																																									
एसबीआई समूह	9.65	13.68																																									
भारतीय स्टेट बैंक	9.79	13.86																																									
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	9.76	13.76																																									
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	9.62	13.56																																									
स्टेट बैंक आफ मैसूर	9.15	12.55																																									
स्टेट बैंक आफ पटियाला	8.60	12.30																																									
स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	9.35	13.55																																									
एसबीआई इंटरनेशनल (मारीशस) लि.	17.16	17.70																																									
स्टेट बैंक आफ इंडिया (कनाडा)	27.51	32.95																																									
स्टेट बैंक आफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	17.38	18.53																																									
कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	36.24	36.24																																									
पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	12.97	13.59																																									
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	8.26	10.40																																									

TABLE DF-3 :
CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

<p>(a) A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The Bank and its Banking Subsidiaries undertake the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on an annual basis in line with the New Capital Adequacy Framework (NCAF) Guidelines of RBI. The ICAAP details the Capital Planning Process and carries out an assessment covering measurement, monitoring, internal controls, reporting, capital requirement and stress testing of the following Risks: <ul style="list-style-type: none"> • Credit Risk • Operational Risk • Liquidity Risk • Compliance Risk • Pension Fund Obligation Risk • Reputation Risk • Residual Risk from Credit Risk Mitigants • Settlement Risk • Market Risk • Credit Concentration Risk • Interest Rate Risk in the Banking Book • Country Risk • New Businesses Risk • Strategic Risk • Model Risk • Contagion Risk • Securitization Risk • Sensitivity Analysis is conducted annually or more frequently as required, on the movement of Capital Adequacy Ratio (CAR) in the medium horizon of 3 to 5 years, considering the projected investment in Subsidiaries / Joint Ventures by SBI and growth in Advances by SBI and its Subsidiaries (Domestic/ Foreign). This analysis is done for the SBI and SBI Group separately. • CRAR of the Bank and for the Group as a whole is estimated to be well above the Regulatory CAR of 9% in the medium horizon of 3 to 5 years. However, to maintain adequate capital, the Bank has options to augment its capital resources by raising Subordinated Debt and Innovative Perpetual Debt Instruments, besides Equity as and when required. • Strategic Capital Plan for the Foreign Subsidiaries covers an assessment of capital requirement for growth of assets and the capital required complying with various local regulatory requirements and prudential norms. The growth plan is approved by the parent bank after satisfying itself about the capacity of the individual subsidiaries to raise Tier I /Tier II Capital to support the increased level of assets and at the same time maintaining the Capital Adequacy Ratio (CAR). 																																										
<p>Quantitative Disclosures (b) Capital requirements for Credit Risk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portfolios subject to Standardized Approach • Securitization Exposures 	<p align="center">₹ 88,074.34 crores</p> <p align="center">⇒ Nil</p> <p align="center">.....</p> <p align="center">Total ₹ 88,074.34 crores</p>																																										
<p>(c) Capital requirements for Market Risk (Standardized duration approach)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interest Rate Risk • Foreign Exchange Risk (including gold) • Equity Risk 	<p align="center">⇒ ₹ 2,836.01 crores</p> <p align="center">⇒ ₹ 108.46 crores</p> <p align="center">⇒ ₹ 1,432.53 crores</p> <p align="center">.....</p> <p align="center">Total ₹ 4,377.00 crores</p>																																										
<p>(d) Capital requirements for Operational Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basic Indicator Approach 	<p align="center">⇒ ₹ 7,918.10 crores</p> <p align="center">.....</p> <p align="center">Total ₹ 7,918.10 crores</p>																																										
<p>(e) Total and Tier I capital ratio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For the top consolidated group; and • For significant bank subsidiaries (stand alone) 	<p align="center">CAPITAL ADEQUACY RATIO AS ON 31.03.2012</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th align="center">Tier I (%)</th> <th align="center">Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SBI Group</td><td align="center">9.65</td><td align="center">13.68</td></tr> <tr><td>State Bank of India</td><td align="center">9.79</td><td align="center">13.86</td></tr> <tr><td>State Bank of Bikaner & Jaipur</td><td align="center">9.76</td><td align="center">13.76</td></tr> <tr><td>State Bank of Hyderabad</td><td align="center">9.62</td><td align="center">13.56</td></tr> <tr><td>State Bank of Mysore</td><td align="center">9.15</td><td align="center">12.55</td></tr> <tr><td>State Bank of Patiala</td><td align="center">8.60</td><td align="center">12.30</td></tr> <tr><td>State Bank of Travancore</td><td align="center">9.35</td><td align="center">13.55</td></tr> <tr><td>SBI (Mauritius) Ltd.</td><td align="center">17.16</td><td align="center">17.70</td></tr> <tr><td>State Bank of India (Canada)</td><td align="center">27.51</td><td align="center">32.95</td></tr> <tr><td>State Bank of India (California)</td><td align="center">17.38</td><td align="center">18.53</td></tr> <tr><td>Commercial Bank of India LLC Moscow</td><td align="center">36.24</td><td align="center">36.24</td></tr> <tr><td>PT Bank SBI Indonesia</td><td align="center">12.97</td><td align="center">13.59</td></tr> <tr><td>Nepal SBI Bank Ltd.</td><td align="center">8.26</td><td align="center">10.40</td></tr> </tbody> </table>		Tier I (%)	Total (%)	SBI Group	9.65	13.68	State Bank of India	9.79	13.86	State Bank of Bikaner & Jaipur	9.76	13.76	State Bank of Hyderabad	9.62	13.56	State Bank of Mysore	9.15	12.55	State Bank of Patiala	8.60	12.30	State Bank of Travancore	9.35	13.55	SBI (Mauritius) Ltd.	17.16	17.70	State Bank of India (Canada)	27.51	32.95	State Bank of India (California)	17.38	18.53	Commercial Bank of India LLC Moscow	36.24	36.24	PT Bank SBI Indonesia	12.97	13.59	Nepal SBI Bank Ltd.	8.26	10.40
	Tier I (%)	Total (%)																																									
SBI Group	9.65	13.68																																									
State Bank of India	9.79	13.86																																									
State Bank of Bikaner & Jaipur	9.76	13.76																																									
State Bank of Hyderabad	9.62	13.56																																									
State Bank of Mysore	9.15	12.55																																									
State Bank of Patiala	8.60	12.30																																									
State Bank of Travancore	9.35	13.55																																									
SBI (Mauritius) Ltd.	17.16	17.70																																									
State Bank of India (Canada)	27.51	32.95																																									
State Bank of India (California)	17.38	18.53																																									
Commercial Bank of India LLC Moscow	36.24	36.24																																									
PT Bank SBI Indonesia	12.97	13.59																																									
Nepal SBI Bank Ltd.	8.26	10.40																																									

तालिका डीएफ - 4 ऋण जोखिम:
सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

पिछले बकायों और अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)

समूह की देशीय बैंकिंग इकाइयां लेखा प्रयोजनों हेतु इन श्रेणियों को परिभाषित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान अनुदेशों का पालन करती हैं, जो निम्नानुसार हैं:

अनर्जक आस्तियाँ

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अनर्जक आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है जहाँ :

- किसी भी मीयादी ऋण के ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;
- किसी ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है;
- खरीदे गए बिल और भुनाए गए बिल के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है;
- अन्य खातों के संबंध में प्राप्त की जाने वाली कोई राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है;
- अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है तथा दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है यदि मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है; और
- कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिनों के अंदर अदा नहीं कर दिया जाता।

'अनियमित' श्रेणी

कोई खाता ऐसी स्थिति में 'अनियमित' माना जाना चाहिए जब बकाया शेष निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक रहता है।

ऐसे मामलों में जहाँ मूल परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम है किंतु बैंक के तुलन पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की गई है अथवा उस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा नहीं है तो ऐसे खातों को 'अनियमित' माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' मानी जाती है यदि यह बैंक द्वारा निर्धारित की गई तिथि को अदा नहीं की गई है।

[विदेशी बैंकिंग इकाइयां और गैर बैंकिंग इकाइयां अपने व्यवसाय क्षेत्रों में लागू और उनके संबंधित नियंत्रकों द्वारा नियत परिभाषाओं का उपयोग करती हैं]

बैंक की ऋण जोखिम-प्रबंधन नीति की चर्चा

समूह इकाइयों द्वारा मुख्य रूप से अपने ऋणान्वयन और निवेश कार्यक्रमों के माध्यम से ऋण जोखिम को प्रकट किया गया है। समूह की सभी बैंकिंग इकाइयों द्वारा अपने ऋण एवं निवेश कार्यक्रमों के माध्यम से ऋण जोखिम को प्रकट किया गया है। गैर-बैंकिंग इकाइयों में, फैक्ट्रिंग और क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में, ऋण जोखिम एक प्रमुख जोखिम है। समूह बैंकिंग इकाइयों ने ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और सम्पाशिवक प्रबंधन नीति/नीतियां बनाई हैं जिनमें ऋण जोखिम के प्रबंधन के बारे में और एक ऐसी व्यापक जोखिम प्रबंधन रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है जो ऋण जोखिमों का समय से पता लगाकर उनका समय से और सक्षम ढंग से प्रबंध एवं निगरानी कर सके। पिछले वर्षों में, इस संबंध में नीति एवं कार्यनीतियों को सम्बद्ध परिणामी अवधारणाओं और वास्तविक अनुभव के आधार पर परिष्कृत किया गया है। नीति एवं कार्यविधियाँ बासेल-II और भारतीय रिजर्व बैंक दिशा-निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार की गई हैं।

ऋण जोखिम-प्रबंधन प्रक्रियाओं में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है। ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :

- 'ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडलों का जहाँ कहीं लागू हो, प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने और ऋण जोखिम प्रबंधन रूपरेखा के विश्लेषण घटकों विशेष रूप से ऋण अनुमोदन प्रक्रिया के मात्रात्मक जोखिम निर्धारण भाग की सहायता करने के लिए, काम में लिया जाता है। श्रेणी निर्धारण प्रक्रिया सुविधा/ऋणी से संबद्ध जोखिम को प्रतिबिम्बित करती है और यह ऋणी की आंतरिक क्षमता का मूल्यांकन है तथा इसकी आवधिक रूप से समीक्षा की गई है।
- भारतीय स्टेट बैंक समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों की सामान्य परिदृश्य के संबंध में विशेष नीतिगत आदेश और परामर्श जारी करके बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों के संविभाग का प्रबंध करने के लिए मात्रात्मक जोखिम मापदण्डों का निर्धारण करने हेतु उद्योग अनुसंधान करता है और परिणामों का समूह की बैंकिंग इकाइयों के बीच आदान-प्रदान करता है।
- ऋण जोखिम का निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए गैर-बैंकिंग इकाइयां क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, आंतरिक श्रेणी-निर्धारण, जनसांख्यिकी विश्लेषणों आदि, का यथा प्रयोज्य उपयोग करती हैं।

देशीय बैंकिंग इकाइयों में ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम घटकों जैसे ऋण चुकौती में चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम की गणना करना शामिल होता है।

समूह इकाइयों में बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के संकेंद्रीकरण से बचने के लिए, व्यक्तिगत ऋणियों, ऋणी समूहों, बैंकों, गैर कारपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार भू-सम्पदा आदि के संबंध में विवेकीय जोखिम मानदण्डों से संबंधित विनियामक आंतरिक दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। समूह इकाइयों की पृथक-पृथक रूप से और समूह की समेकित रूप से ऋण जोखिम मापन के लिए जोखिमों की निरंतर निगरानी की गई है, जिस प्रकार समूह जोखिम प्रबंधन नीति में निर्दिष्ट किया गया है। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं जिससे जहाँ आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

समूह की प्रत्येक बैंकिंग इकाई में एक ऐसी ऋण नीति लागू है जिसमें ऋण एवं अग्रिमों की संस्वीकृति, प्रबंध और निगरानी करने के संबंध में इकाइयों के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। इस नीति से ऋण संबंधी बुनियादी बातें, मूल्यांकन निपुणताओं, प्रलेखन मानकीकरण और संस्थात्मक अपेक्षाओं की जागरूकता, तथा कार्यनीतियों से संबंधित दृष्टिकोणों से समानता आती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संविभाग स्तर पर आस्तियों की सम्पूर्ण गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो रहा है। आस्तियों का मूल्यांकन, संस्वीकृत, प्रलेखीकरण, निरीक्षण एवं निगरानी, नवीकरण, रखरखाव, पुनर्वास और प्रबंधन करने के लिए उचित प्राधिकार के अंतर्गत नवोन्मेष, विचलन और नरमी की पर्याप्त गुंजाइश के साथ विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

ऋण जोखिम का प्रबंध करने के लिए समूह में आंतरिक नियंत्रण एवं प्रक्रियाएं लागू हैं, जो निम्नानुसार हैं,

- ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम अभिशासन संरचना।
- एक श्रेणीबद्ध प्राधिकार संरचना के साथ अग्रिमों एवं संबद्ध मामलों के लिए वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन।
- ऋण लेखापरीक्षा के भाग के रूप में संस्वीकृति से पूर्व और संस्वीकृति के पश्चात की प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। प्रारंभिक सीमाओं से अधिक की जोखिमों के लिए देशीय इकाइयों में ये लेखा-परीक्षा आयोजित की गई है।
- ऋणों की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए तनावग्रस्त आस्तियों की निकट समीक्षा एवं निगरानी करना।
- सभी परिचालन अधिकारियों और लेखा-परीक्षा अधिकारियों को नीतियां, कार्यविधियां और जोखिम सीमाओं की जानकारी परिचालित की गई है जिससे निरंतर आधार पर उनकी जानकारी को अद्यतन रखा जा सके।
- सभी अधिकारियों के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रथाओं से संबंधित जानकारी को अद्यतन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास भी शुरू किए गए हैं।

TABLE DF-4 :
CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

<p>Qualitative Disclosures</p> <p>Definitions of past due and impaired assets (for accounting purposes)</p> <p>The Domestic Banking entities in the Group follow the extant RBI instructions for definitions of these categories for accounting purposes, as given below:</p> <p>Non-performing assets</p> <p>An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. A Non-Performing Asset (NPA) is an advance where:</p> <ol style="list-style-type: none"> Interest and/or installment of principal remain 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan; The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC); The bill remains 'overdue' for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted; Any amount to be received remains 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of other accounts; A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains 'overdue' for two crop seasons and a loan granted for long duration crops is treated as NPA, if installment of principal or interest thereon remains 'overdue' for one crop season; and An account would be classified as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter. <p>'Out of Order' Status</p> <p>An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power.</p> <p>In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Bank's Balance Sheet, or where credits are not enough to cover the interest debited during the same period, such accounts are treated as 'out of order'.</p> <p>'Overdue'</p> <p>Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.</p> <p>[Overseas Banking entities and the Non-banking entities - use the definitions as applicable to their lines of businesses and as defined by their respective regulators.]</p> <p>Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy</p> <p>Group entities are exposed to Credit Risk mainly through their lending and investment activities. All Banking entities in the Group are exposed to Credit Risk through their loans and investment activities. Among the Non-banking entities, Credit Risk is a major risk for the factoring and credit cards business. Group Banking entities have Credit Risk Management, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy/Policies in place which are an exposition of their approach to the management of Credit Risk and seek to establish a comprehensive risk management framework that allows Credit Risks to be tracked, managed and overseen in a timely and efficient manner. Over the years, the policy and procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel II and RBI guidelines, wherever applicable.</p> <p>Credit Risk Management processes encompass identification, assessment, monitoring and control of the credit exposures. In the process of identification and assessment of Credit Risk, the following functions are undertaken:</p> <ol style="list-style-type: none"> Internal Credit Risk Assessment Models/ Scoring Models are used across the entities, wherever applicable, to assess the counterparty risk and to support the analytical elements of the credit risk management framework, particularly the quantitative risk assessment part of the credit approval process. The rating process reflects the risk involved in the facility / borrower and is an evaluation of the borrower's intrinsic strength and is reviewed periodically. SBI conducts industry research regularly to give specific policy prescriptions and setting quantitative exposure parameters for handling portfolio in large / important industries, by issuing advisories on the general outlook for the Industries/Sectors, from time to time and shares the findings amongst the Banking entities in the Group. Non-Banking entities use their own Internal Credit Scoring Models, Internal Ratings, Demographic Analysis, etc., as applicable, for identification and assessment of Credit Risk. <p>The measurement of Credit Risk in the Domestic Banking entities involves computation of Credit Risk Components viz. Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) and Exposure at Default (EAD).</p> <p>For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risk, regulatory / internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual borrowers, borrower groups, banks, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, etc., are in place in the Group entities. Ongoing monitoring of these exposures is conducted for measurement of Credit Risk of the Group entities individually and for consolidated Group, as specified in the Group Risk Management Policy. Credit Risk Stress Tests are conducted by the entities to identify vulnerable areas for initiating corrective action, where necessary.</p> <p>Each of the Banking entities in the Group has a Loan Policy in place which documents the entities' approach to sanctioning, managing and monitoring of loans and advances. The Policy establishes a commonality of approach regarding credit basics, appraisal skills, documentation standards and awareness of institutional concerns and strategies to ensure that there is continued improvement of the overall quality of assets at the portfolio level. Specific norms for Appraising, Sanctioning, Documentation, Inspections and Monitoring, Renewals, Maintenance, Rehabilitation and Management of Assets have been stipulated, with sufficient leg room for innovation, deviations and flexibility under proper authority.</p> <p>The internal controls and processes in place in the Group for the management of Credit Risk are:</p> <ol style="list-style-type: none"> Risk Governance structures for Credit Risk Management. Delegation of financial powers for advances and allied matters with a graded authority structure. Pre-sanction and post-sanction processes are examined as part of Credit Audit conducted in Domestic Banking entities for exposures above threshold limits. Credit Audit also examines identified risks and suggests risk mitigation measures. Close review and monitoring of Stressed Assets to prevent deterioration in quality. The Policies, Procedures and Risk Limits are circulated amongst all operating functionaries and the audit functionaries to keep them updated on an ongoing basis. Various training initiatives are also undertaken for updation of knowledge on Credit Risk Management policies and practices for all functionaries.

तालिका डीएफ-4
ऋण जोखिम - मात्रात्मक प्रकटीकरण
31.03.2012 के आंकड़े

सामान्य प्रकटीकरण: मात्रात्मक प्रकटीकरण	राशि करोड़ ₹ में		
	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
(ख) कुल सकल ऋण जोखिम राशि	11,99,934.94	3,96,013.84	15,95,948.78
(ग) ऋण जोखिम राशि का भौगोलिक वितरण: निधि आधारित/गैर निधि आधारित			
विदेशी	1,41,434.27	17,476.36	1,58,910.63
देशीय	10,58,500.67	3,78,537.48	14,37,038.15
(घ) ऋण जोखिम राशि का उद्योग के प्रकार अनुसार वितरण निधि आधारित/गैर निधि आधारित अलग अलग	कृपया तालिका 'क' देखें		
(ङ) आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण	कृपया तालिका 'ख' देखें		
(च) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल) अर्थात् योग (i से v)	49,648.70		
i) अवमानक	22,690.19		
ii) संदिग्ध 1	10,931.27		
iii) संदिग्ध 2	9,643.84		
iv) संदिग्ध 3	2,390.03		
v) हानिप्रद	3,993.37		
(छ) निवल अनर्जक आस्तियाँ	21,095.09		
(ज) अनर्जक आस्ति अनुपात			
i) सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियाँ	4.15%		
ii) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ	1.81%		
(झ) अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़ (सकल)			
i) अथशेष	31,824.10		
ii) परिवर्धन	33,724.66		
iii) कटौतियाँ	15,900.06		
iv) इतिशेष	49,648.70		
(ञ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
i) अथशेष	16,043.12		
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	16,816.89		
iii) बट्टा खाता डालना	1,988.09		
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	2,318.31		
v) इतिशेष	28,553.61		
(ट) अनर्जक निवेशों की राशि	1,003.04		
(ठ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि	952.35		
(ड) निवेशों पर ह्रास के संबंध में प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
i) अथशेष	2,956.00		
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1,054.91		
iii) बट्टा खाता डालना	105.61		
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	1,425.21		
v) इतिशेष	2,480.09		

तालिका - क
31.03.2012 को उद्योग के प्रकार के अनुसार ऋण जोखिम का वितरण
(राशि करोड़ ₹ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित [बकाया]			गैर-निधि आधारित [बकाया]
		मानक	अनर्जक आस्ति	कुल	
1	कोयला	1,594.28	16.78	1,611.06	633.47
2	खनन	5,701.41	253.94	5,955.35	2,973.36
3	लोह एवं इस्पात	73,381.35	2,841.35	76,222.71	23,592.39
4	धातु उत्पाद	19,266.18	643.54	19,909.72	4,369.99
5	सभी अभियांत्रिकी	32,513.98	1,301.66	33,815.64	40,954.71
5.1	इसमें इलेक्ट्रॉनिक संबंधी	9,726.60	342.39	10,068.99	7,347.15
6	बिजली	26,994.74	43.14	27,037.88	16,856.17
7	कपड़ा उद्योग	29,178.05	1,044.29	30,222.35	3,787.42
8	जूट वस्त्र	335.76	45.58	381.33	53.47
9	अन्य वस्त्र	22,013.75	2,172.47	24,186.22	2,763.25
10	शक्कर	8,540.86	39.87	8,580.72	542.07
11	चाय	508.20	99.61	607.81	51.05
12	खाद्य प्रसंस्करण	20,710.15	1,371.35	22,081.49	813.62
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	5,467.94	316.53	5,784.47	3,800.63
14	तम्बाकू / तम्बाकू उत्पाद	862.76	6.57	869.33	28.61
15	कागज /कागज उत्पाद	6,162.15	880.84	7,042.98	1,222.87
16	रबड़/ रबड़ उत्पाद	5,038.03	232.22	5,270.25	990.61
17	रसायन/ रंगाई/ रंग आदि	34,239.42	1,792.62	36,032.04	11,993.52
17.1	इसमें उर्वरक	7,100.72	41.33	7,142.05	3,164.84
17.2	इसमें पेट्रोरसायन	6,284.74	102.28	6,387.02	3,126.81
17.3	इसमें दवाइयाँ एवं औषधियाँ	12,349.17	1,149.71	13,498.88	2,713.06
18	सीमेंट	10,382.24	120.97	10,503.21	1,437.20
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2,111.75	213.00	2,324.75	266.56
20	रत्न एवं आभूषण	16,989.02	1,154.25	18,143.28	1,496.23
21	निर्माण	14,040.83	1,017.92	15,058.75	2,826.46
22	पेट्रोलियम	25,419.42	35.14	25,454.56	32,745.53
23	आटोमोबाइल एवं ट्रक	10,372.21	308.81	10,681.02	791.77
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1,768.79	317.19	2,085.97	77.65
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	104,948.87	1,387.06	106,335.93	37,145.25
25.1	इसमें बिजली	34,826.27	211.53	35,037.80	10,134.42
25.2	इसमें दूर संचार	24,005.65	290.38	24,296.03	4,648.35
25.3	इसमें सड़क और बंदरगाह	31,641.28	461.13	32,102.41	7,226.41
26	अन्य उद्योग	144,571.42	5,737.79	150,309.21	42,087.82
27	एनबीएफसी और ट्रेडिंग	86,061.30	4,999.98	91,061.27	11,637.20
28	शेष सकल अग्रिमों में अवशिष्ट अग्रिम	441,111.38	21,254.23	4,62,365.61	1,50,074.97
	कुल	11,50,286.24	49,648.70	11,99,934.94	3,96,013.84

Table DF-4 :
Credit Risk - Quantitative Disclosures
Data as on 31.03.2012

General Disclosures:	Amount ₹ in crores		
	Fund Based	Non Fund Based	Total
(b) Total Gross Credit Risk Exposures	11,99,934.94	3,96,013.84	15,95,948.78
(c) Geographic Distribution of Exposures : FB / NFB			
Overseas	1,41,434.27	17,476.36	1,58,910.63
Domestic	10,58,500.67	3,78,537.48	14,37,038.15
(d) Industry type Distribution of Exposures Fund based / Non Fund Based separately	Please refer to Table "A"		
(e) Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets	Please refer to Table "B"		
(f) Amount of NPAs (Gross) i.e. Sum f (i to v)	49,648.70		
i) Substandard	22,690.19		
ii) Doubtful 1	10,931.27		
iii) Doubtful 2	9,643.84		
iv) Doubtful 3	2,390.03		
v) Loss	3,993.37		
(g) Net NPAs	21,095.09		
(h) NPA Ratios			
i) Gross NPAs to gross advances	4.15%		
ii) Net NPAs to net advances	1.81%		
(i) Movement of NPAs (Gross)			
i) Opening balance	31,824.10		
ii) Additions	33,724.66		
iii) Reductions	15,900.06		
iv) Closing balance	49,648.70		
(j) Movement of Provisions for NPAs			
i) Opening balance	16,043.12		
ii) Provisions made during the period	16,816.89		
iii) Write-off	1,988.09		
iv) Write-back of excess provisions	2,318.31		
v) Closing balance	28,553.61		
(k) Amount of Non-Performing Investments	1,003.04		
(l) Amount of Provisions held for Non-Performing Investments	952.35		
(m) Movement of Provisions for Depreciation on Investments			
i) Opening balance	2,956.00		
ii) Provisions made during the period	1,054.91		
iii) Write-off	105.61		
iv) Write-back of excess provisions	1,425.21		
v) Closing balance	2,480.09		

Table-A
Industry Type Distribution of Exposures as on 31.03.2012

CODE	INDUSTRY	FUND BASED [Outstandings-(O/s)]			NON-FUND BASED(O/s)
		Standard	NPA	Total	
1	Coal	1,594.28	16.78	1,611.06	633.47
2	Mining	5,701.41	253.94	5,955.35	2,973.36
3	Iron & Steel	73,381.35	2,841.35	76,222.71	23,592.39
4	Metal Products	19,266.18	643.54	19,909.72	4,369.99
5	All Engineering	32,513.98	1,301.66	33,815.64	40,954.71
5.1	Of which Electronics	9,726.60	342.39	10,068.99	7,347.15
6	Electricity	26,994.74	43.14	27,037.88	16,856.17
7	Cotton Textiles	29,178.05	1,044.29	30,222.35	3,787.42
8	Jute Textiles	335.76	45.58	381.33	53.47
9	Other Textiles	22,013.75	2,172.47	24,186.22	2,763.25
10	Sugar	8,540.86	39.87	8,580.72	542.07
11	Tea	508.20	99.61	607.81	51.05
12	Food Processing	20,710.15	1,371.35	22,081.49	813.62
13	Vegetable Oils & Vanaspati	5,467.94	316.53	5,784.47	3,800.63
14	Tobacco / Tobacco Products	862.76	6.57	869.33	28.61
15	Paper / Paper Products	6,162.15	880.84	7,042.98	1,222.87
16	Rubber / Rubber Products	5,038.03	232.22	5,270.25	990.61
17	Chemicals / Dyes / Paints etc.	34,239.42	1,792.62	36,032.04	11,993.52
17.1	Of which Fertilizers	7,100.72	41.33	7,142.05	3,164.84
17.2	Of which Petrochemicals	6,284.74	102.28	6,387.02	3,126.81
17.3	Of which Drugs & Pharma	12,349.17	1,149.71	13,498.88	2,713.06
18	Cement	10,382.24	120.97	10,503.21	1,437.20
19	Leather & Leather Products	2,111.75	213.00	2,324.75	266.56
20	Gems & Jewellery	16,989.02	1,154.25	18,143.28	1,496.23
21	Construction	14,040.83	1,017.92	15,058.75	2,826.46
22	Petroleum	25,419.42	35.14	25,454.56	32,745.53
23	Automobiles & Trucks	10,372.21	308.81	10,681.02	791.77
24	Computer Software	1,768.79	317.19	2,085.97	77.65
25	Infrastructure	104,948.87	1,387.06	106,335.93	37,145.25
25.1	Of which Power	34,826.27	211.53	35,037.80	10,134.42
25.2	Of which Telecommunication	24,005.65	290.38	24,296.03	4,648.35
25.3	Of which Roads & Ports	31,641.28	461.13	32,102.41	7,226.41
26	Other Industries	144,571.42	5,737.79	150,309.21	42,087.82
27	NBFCs & Trading	86,061.30	4,999.98	91,061.27	11,637.20
28	Res. Adv to bal. Gross Advances	441,111.38	21,254.23	4,62,365.61	1,50,074.97
	Total	11,50,286.24	49,648.70	11,99,934.94	3,96,013.84

तालिका-ख

डीएफ-4 (ड) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) आस्तियों का दिनांक 31.03.2012 को अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विवरण

(₹ करोड़ में)

	1-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक किंतु 6 माह तक	6 माह से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
नकदी	13,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031.57
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	8,714.62	1,064.35	3,770.13	6,054.57	8,548.49	18,958.71	10,124.53	8,932.24	66,167.64
अन्य बैंकों के पास जमाशेष	38,149.68	2,253.65	2,204.81	1,885.75	1,598.41	1,796.46	286.46	216.40	48,391.62
निवेश	10,119.51	4,737.37	24,682.76	13,191.44	22,139.24	74,559.99	83,735.12	2,27,783.71	4,60,949.14
अग्रिम	65,393.30	30,568.82	74,619.21	41,949.69	62,056.39	5,31,608.58	1,25,496.89	2,31,977.33	11,63,670.21
अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,407.96	7,407.96
अन्य आस्तियां	33,148.16	2,078.89	5,534.32	7,839.26	10,866.36	1,613.57	949.23	8,308.24	70,338.03
कुल	1,68,556.84	40,703.08	1,10,811.23	70,920.71	1,05,208.89	6,28,537.31	2,20,592.23	4,84,625.88	18,29,956.17

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम :
मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों हेतु प्रकटन

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

• प्रयुक्त रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में परिवर्तनों के कारण भी

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशी और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमशः केयर, क्रिसिल, आईसीआरए एवं फिच इंडिया (देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों) एवं फिच, मूडीज एवं एस एंड पी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है जिनकी रेटिंगों का जोखिमभारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया गया। विदेशी बैंकिंग इकाइयां अपने-अपने विनियामकों के अनुमोदन के अनुसार रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग का प्रयोग करती हैं।

• ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गयी

- एक वर्ष से कम अथवा समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।
- देशी कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए एवं 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

• पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण

निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी- ग्राहक / प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एक्सपोजरों के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी- ग्राहक / प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई:

- इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक हैं तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
- उन मामलों में जहां ऋणी- ग्राहक/ प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड डेट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

विदेशी बैंकिंग अनुबंधगियों स्थानीय नियामकों द्वारा निर्धारित ऋण जोखिम प्रबंधन व्यवहारों का अंगीकरण कर रही है।

31-3-2012 को मात्रात्मक प्रकटीकरण	(राशि करोड़ ₹ में)	
मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात ऋण जोखिम की राशियों के लिए प्रत्येक जोखिम समूह और कटौती की गई जोखिम राशि में बैंक की बकाया राशियाँ (रेटिंग सहित और रेटिंग रहित)	100% जोखिम भार से नीचे	₹ 9,94,936.13
	100% जोखिम भार	₹ 3,76,534.97
	100% से अधिक जोखिम भार	₹ 2,25,590.14
	कटौती की	₹ 1,112.46
	योग	₹ 15,95,948.78

Table-B
DF-4 (e) SBI (CONSOLIDATED) Residual contractual maturity breakdown of assets as on 31.03.2012

(₹ in crores)

	1-14 days	15-28 days	29 days & up to 3 months	Over 3 months & upto 6 months	Over 6 months & upto 1 year	Over 1 year & upto 3 years	Over 3 years & upto 5 years	Over 5 years	Total
Cash	13,031.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031.57
Balances with RBI	8,714.62	1,064.35	3,770.13	6,054.57	8,548.49	18,958.71	10,124.53	8,932.24	66,167.64
Balances with other Banks	38,149.68	2,253.65	2,204.81	1,885.75	1,598.41	1,796.46	286.46	216.40	48,391.62
Investments	10,119.51	4,737.37	24,682.76	13,191.44	22,139.24	74,559.99	83,735.12	2,27,783.71	4,60,949.14
Advances	65,393.30	30,568.82	74,619.21	41,949.69	62,056.39	5,31,608.58	1,25,496.89	2,31,977.33	11,63,670.21
Fixed Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,407.96	7,407.96
Other Assets	33,148.16	2,078.89	5,534.32	7,839.26	10,866.36	1,613.57	949.23	8,308.24	70,338.03
TOTAL	1,68,556.84	40,703.08	1,10,811.23	70,920.71	1,05,208.89	6,28,537.31	2,20,592.23	4,84,625.88	18,29,956.17

**TABLE DF-5 : CREDIT RISK:
DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO STANDARDISED APPROACH**

(a) Qualitative Disclosures

- Names of Credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes**

As per RBI Guidelines, the Bank has identified CARE, CRISIL, ICRA and FITCH India (Domestic Credit Rating Agencies) and FITCH, Moody's and S&P (International Rating Agencies) as approved Rating Agencies, for the purpose of rating Domestic and Overseas exposures, respectively, whose ratings are used for the purpose of computing Risk-weighted Assets and Capital Charge. Overseas Banking entities use the ratings of accredited rating agencies as approved by their respective regulators.

- Types of exposures for which each Agency is used**

- For Exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short-term Ratings given by approved Rating Agencies are used.
- For Domestic Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits (irrespective of the period) and for Term Loan exposures of over 1 year, Long Term Ratings are used.

- Description of the process used to transfer Public Issue Ratings onto comparable assets in the Banking Book**

Long-term Issue Specific Ratings (For the Bank's own exposures or other issuance of debt by the same borrower-constituent/counter-party) or Issuer (borrower-constituents/counter-party) Ratings are applied to other unrated exposures of the same borrower-constituent/counter-party in the following cases:

- If the Issue Specific Rating or Issuer Rating maps to Risk Weight equal to or higher than the unrated exposures, any other unrated exposure on the same counter-party is assigned the same Risk Weight, if the exposure ranks pari-passu or junior to the rated exposure in all respects.
- In cases where the borrower-constituent/counter-party has issued a debt (which is not a borrowing from the Bank), the rating given to that debt is applied to the Bank's unrated exposures, if the Bank's exposure ranks pari-passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of unrated Bank's exposure is not later than the maturity of the rated debt.

Foreign Banking Subsidiaries are adhering credit risk management practices as stipulated by the local regulators.

(b)

Quantitative Disclosures as on 31.03.2012	(Amount ₹ in crores)	
For exposure amounts after risk mitigation subject to the Standardized Approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in each risk bucket as well as those that are deducted.	Below 100% Risk Weight	: ₹ 9,94,936.13
	100% Risk Weight	: ₹ 3,76,534.97
	More than 100% Risk Weight	: ₹ 2,25,590.14
	Deducted	: ₹ 1,112.46
Total	: ₹ 15,95,948.78	

तालिका डीएफ-6 ऋण जोखिम ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत पद्धति के लिए प्रकटीकरण	
(क) गुणात्मक प्रकटीकरण	
<ul style="list-style-type: none"> • तुलन पत्र में निवल जोखिम मदों को सम्मिलित करने / न करने की सीमा का निर्धारण करने वाली नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ तुलन पत्र की निवल जोखिम मदें ऐसे ऋणों / अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती हैं जिनके बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है; जहां बैंक, क. के पास यह निर्णय करने का ठोस कानूनी आधार है, कि वह निवल राशि की वसूली / समायोजन संबंधी करार को प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकता है भले ही प्रतिपक्ष दिवालिया क्यों न हो; ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण / अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है; ग. निवल आधार पर संबंधित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों / अग्रिमों तथा जमाराशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण / अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है। • संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ देशीय बैंकिंग इकाइयों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक नीति निर्धारित की गई है, जिसमें पूंजी - परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है। इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किए जा सकें। इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके द्वारा ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सके। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है : (i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण (ii) स्वीकार्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीक (iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया (iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन (v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएँ (vi) विदेशी रेटिंग (vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा (viii) बीमा (ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी (x) सामान्य दिशा-निर्देश • बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ ली गई हैं उनका ब्योरा बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है: (i) नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियाँ/एनएससी/किसान विकास पत्र / एलआईसी पॉलिसी आदि) (ii) स्वर्ण (iii) केंद्र / राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ (iv) ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ जिन्हें बीबीबी या बेहतर रेटिंग प्राप्त है / अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए पीआर3/पी3/एफ3/ए3 (v) सूचीबद्ध इक्विटी तथा परिवर्तनीय बांड • मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उनका ब्योरा और उनकी ऋण - पात्रता बैंक की देशीय बैंकिंग इकाइयाँ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करती हैं : • सरकार, सरकारी संस्थाएँ (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुदेशीय विकास बैंक, ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई, सरकारी क्षेत्र के उद्यम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका प्रतिपक्ष की तुलना में कम जोखिम भार हो। • अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (ऑब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गारंटियों में भी) हिस्सेदारी है। • कारपोरेट - सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र • पर्याप्त एवं स्वीकार्य संपत्ति वाले व्यक्ति तथा अन्य पक्षकार • गैर वित्तीय संपार्श्विक के रूप में बही ऋणों / प्राप्यों तथा भू संपत्ति के बंधक को स्वीकार किया जाता है। • जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी : बैंकिंग इकाइयों का आस्त - संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ प्राप्त की गई हैं, यथा :- • ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय तथा गैर वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ [इकाइयों द्वारा रखी गई अधिकांश वित्तीय संपार्श्विक आस्तियाँ उनकी अपनी जमाराशियाँ तथा स्वर्ण के रूप में होती हैं जो आसानी से निर्गमन योग्य हैं तथा इस प्रकार इनके ऋण जोखिम न्यूनीकरण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।] • सरकारों और अच्छी रेटिंग वाले कारपोरेटों द्वारा गारंटियाँ। 	
विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ स्थानीय विनियामकों द्वारा निर्धारित की गई ऋण जोखिम प्रबंधन व्यवहारों को लागू कर रही हैं।	
मात्रात्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)
(ख) प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहाँ लागू हैं) जो कटौतियाँ लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	2,31,718.16
(ग) प्रत्येक पृथक प्रकट ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र में शामिल या शामिल न किए गए ऋण जोखिमों को घटाने के पश्चात, जहाँ लागू हैं) जो गारंटियों / क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। (जहाँ कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है)	77,263.00

TABLE DF-6 : CREDIT RISK
Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach

(a) Qualitative Disclosures	
<ul style="list-style-type: none"> • Policies and Processes for, an indication to the extent to which the Bank makes use of, on-and off-balance sheet netting On-Balance sheet netting is confined to loans/advances and deposits, where the Domestic Banking entities have legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation. The Domestic Banking Entities calculate capital requirements on the basis of net credit exposures subject to the following conditions; Where Bank, <ul style="list-style-type: none"> a. has a well-founded legal basis for concluding that the netting or offsetting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt; b. is able at any time to determine the loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting agreement; and c. monitors and controls the relevant exposures on a net basis, it may use the net exposure of loans/advances and deposits as the basis for its capital adequacy calculation. Loans / advances are treated as exposure and deposits as collateral. • Policies and Processes for Collateral Valuation and Management Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, addressing the approach towards the credit risk mitigants used for capital calculation has been put in place in Domestic Banking entities. The objective of this Policy is to enable classification and valuation of credit risk mitigants in a manner that allows regulatory capital adjustment to reflect them. The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts), wherever applicable, against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. The following issues are addressed in the Policy: <ul style="list-style-type: none"> (i) Classification of credit risk-mitigants. (ii) Acceptable credit risk-mitigants techniques. (iii) Documentation and legal process requirements for credit risk-mitigants. (iv) Valuation of collateral. (v) Margin and haircut requirements. (vi) External ratings. (vii) Custody of collateral. (viii) Insurance. (ix) Monitoring of credit risk mitigants. (x) General guidelines. • Description of the main types of Collateral taken by the Bank The following collaterals are usually recognized as Credit Risk Mitigants under the Standardised Approach by the Domestic Banking entities of the Bank: <ul style="list-style-type: none"> (i) Cash or Cash equivalent (Bank Deposits/NSCs/KVP/LIC Policy, etc.). (ii) Gold. (iii) Securities issued by Central / State Governments. (iv) Debt securities rated BBB- or better/ PR3/P3/F3/A3 for Short-Term Debt Instruments. (v) Listed equity and convertible bonds. • Main types of Guarantor Counterparty and their creditworthiness The Domestic Banking entities of the Bank accepts the following as eligible guarantors, in line with RBI Guidelines : <ul style="list-style-type: none"> • Sovereign, Sovereign entities [including Bank for International Settlements (BIS), International Monetary Fund (IMF), European Central Bank and European Community as well as Multilateral Development Banks, Export Credit & Guarantee Corporation (ECGC) and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)], Public Sector Enterprises (PSEs), Banks and Primary Dealers with a lower risk weight than the Counterparty. • Other guarantors having an external rating of AA or better. In case the guarantor is a parent company, affiliate or subsidiary, they should enjoy a risk weight lower than the obligor for the guarantee to be recognised by the Bank. The rating of the guarantor should be an entity rating which has factored in all the liabilities and commitments (including guarantees) of the entity. • Corporates - public and private sector. • Individuals and other third parties of adequate and acceptable worth. • Book-debts/receivables and mortgage of landed property are accepted as non-financial collateral. • Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken: The Banking entities have a well-dispersed portfolio of assets which are secured by various types of collaterals, such as:- <ul style="list-style-type: none"> • Eligible financial and non-financial collaterals listed above. [Majority of financial collaterals held by the entities are by way of own deposits and gold which are easily realisable and as such the risk concentration of credit risk mitigants is low] • Guarantees by sovereigns and well-rated corporates. 	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Foreign Banking Subsidiaries are adhering credit risk management practices as stipulated by the local regulators.</div>	
Quantitative Disclosures:	(Amount in ₹ crores)
(b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	2,31,718.16
(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	77,263.00

तालिका डीएफ-7: प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

	गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क)	प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा जिसमें उसका विवेचन भी शामिल है, के अनुसार निम्नलिखित विवरण दिया गया है :	
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का क्या लक्ष्य रहा है ? यह भी बताएं कि इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूत ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर अर्थात अन्य संस्थाओं को अंतरित किया गया है। 	निरंक
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूत आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप। 	लागू नहीं
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह, किया जाता है (उदाहरणार्थ प्रवर्तक, निवेशक, सेवाप्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, नकदी प्रदाता, विनिमय प्रदाता[®], संरक्षण प्रदाता[®]) और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता @ संबंधित आस्तियों के ब्याज दर / करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी भी बैंक द्वारा ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में नियामक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर निर्धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। # कोई भी बैंक नियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत किए जाने पर गारंटियों, ऋण डेरीवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है। 	लागू नहीं
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण निवेशों में ऋण और बाजार जोखिम में होने वाले परिवर्तनों (अर्थात संबंधित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। इनके बारे में दिनांक 1 जुलाई 2009 के एनसीएएफ के मास्टर सर्कुलर के पैरा 5.16.1 में उल्लेख है)। 	लागू नहीं
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबंधित बैंक की नीति का नीचे वर्णन किया गया है; 	लागू नहीं
(ख)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखाकरण नीतियों का निम्नलिखित सहित सारांश निम्नानुसार है:	
	<ul style="list-style-type: none"> क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है; 	लागू नहीं
	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियाँ और प्रमुख पूर्वानुमान (जानकारियों सहित) 	लागू नहीं
	<ul style="list-style-type: none"> पिछली अवधि के प्रमुख पूर्वानुमान और लागू की गई पद्धतियों में परिवर्तन तथा उन परिवर्तनों का प्रभाव 	लागू नहीं
	<ul style="list-style-type: none"> तुलन पत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियाँ जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए विलीय सहायता उपलब्ध कराना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है 	लागू नहीं
(ग)	बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया	लागू नहीं
	गुणात्मक प्रकटीकरण : बैंकिंग बही	
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक
(ङ)	चालू अवधि के दौरान ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबंधित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें	निरंक
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि	निरंक
(छ)	(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि	लागू नहीं
(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के स्वरूप सहित) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियाँ जिन्हें लेखों में शामिल नहीं किया गया है	निरंक
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	<ul style="list-style-type: none"> तुलन-पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है। 	निरंक
	<ul style="list-style-type: none"> तुलन-पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग अलग विवरण 	निरंक
(ञ)	<ul style="list-style-type: none"> यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबंधित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग अलग और नियामक द्वारा अलग अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग अलग जोखिम भार 	निरंक
	<ul style="list-style-type: none"> ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर I पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाई गई ऋण-वृद्धियों की राशि तथा कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग अलग)। 	निरंक
	गुणात्मक प्रकटीकरण : क्रय-विक्रय बही	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण।	निरंक
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	<ul style="list-style-type: none"> तुलन पत्र में शामिल उन प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग अलग विवरण जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिनके संबंध में खरीद की गई है 	निरंक
	<ul style="list-style-type: none"> तुलन पत्र में शामिल नहीं किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम। प्रत्येक ऋण जोखिम का उसके स्वरूप के अनुसार अलग अलग विवरण 	निरंक
(ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जिन्हें निम्नलिखित के लिए यथावत बनाए रखा गया या जिनके लिए खरीद की गई:	निरंक
	<ul style="list-style-type: none"> कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाए रखे गए या न खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, और 	निरंक
	<ul style="list-style-type: none"> कतिपय जोखिम को देखते हुए निर्धारित प्रतिभूतिकरण सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विवरण 	निरंक

TABLE DF-7 : SECURITISATION EXPOSURES - DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures		
(a)	<i>The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation including a discussion of:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities. 	NIL
	<ul style="list-style-type: none"> the nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitised assets; 	NOT APPLICABLE
	<ul style="list-style-type: none"> the various roles played by the bank in the securitisation process (For example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider[®], protection provider[#]) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; <p>[®] A bank may have provided support to a securitisation structure in the form of an interest rate swap or currency swap to mitigate the interest rate/currency risk of the underlying assets, if permitted as per regulatory rules.</p> <p>[#] A bank may provide credit protection to a securitisation transaction through guarantees, credit derivatives or any other similar product, if permitted as per regulatory rules.</p>	NOT APPLICABLE
	<ul style="list-style-type: none"> a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitisation exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular on NCAF dated July 1, 2009). 	NOT APPLICABLE
	<ul style="list-style-type: none"> a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures; 	NOT APPLICABLE
(b)	<i>Summary of the bank's accounting policies for securitization activities, including:</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> whether the transactions are treated as sales or financings; 	NOT APPLICABLE
	<ul style="list-style-type: none"> methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased 	NOT APPLICABLE
	<ul style="list-style-type: none"> changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes; 	NOT APPLICABLE
	<ul style="list-style-type: none"> policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitised assets. 	NOT APPLICABLE
(c)	<i>In the banking book, the names of ECAs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.</i>	NOT APPLICABLE
	Quantitative Disclosures: Banking Book	
(d)	<i>The total amount of exposures securitised by the bank.</i>	NIL
(e)	<i>For exposures securitised losses recognised by the bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, housing loans, auto loans etc. detailed by underlying security)</i>	NIL
(f)	<i>Amount of assets intended to be securitised within a year</i>	NIL
(g)	<i>Of (f), amount of assets originated within a year before securitisation.</i>	NOT APPLICABLE
(h)	The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognised gain or losses on sale by exposure type.	NIL
(i)	Aggregate amount of:	
	<ul style="list-style-type: none"> on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and 	NIL
	<ul style="list-style-type: none"> off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type 	NIL
(j)	<ul style="list-style-type: none"> Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach 	NIL
	<ul style="list-style-type: none"> Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type). 	NIL
	Quantitative Disclosures: Trading Book	
(k)	Aggregate amount of exposures securitised by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	NIL
(l)	Aggregate amount of:	
	<ul style="list-style-type: none"> on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and 	NIL
	<ul style="list-style-type: none"> off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type. 	NIL
(m)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for:	NIL
	<ul style="list-style-type: none"> securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and 	NIL
	<ul style="list-style-type: none"> securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands. 	NIL

तालिका डीएफ-7: (जारी)

(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	निरंक			
		राशि ₹ करोड़ में			
		मद	बही मूल्य	बाजार मूल्य	पूँजी पर्याप्तता
	• प्रतिभूतिकरण की निर्धारित सीमा के भीतर प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूँजीगत अपेक्षा परंतु विभिन्न जोखिम भार समूहों के अनुरूप अलग अलग प्रतिभूतिकरण आवश्यक				
	• टियर I पूँजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूँजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूँजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के स्वरूप के अनुसार अलग अलग)	प्रतिभूति रसीदें	150.07	39.71	निरंक*

* भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 19.86 करोड़ (प्रतिभूति - रसीदों में किए गए निवेश के बाजार मूल्य का 50%) टियर I पूँजी में से घटाया गया है। शेष 50% टियर II पूँजी में से घटाया गया है।

तालिका डीएफ-8

व्यापार-बही में बाजार-जोखिम

मानकीकृत अवधि पद्धति का उपयोग करते हुए बैंकों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण : देशी बैंकिंग इकाइयाँ:

- बाजार जोखिम की गणना के अंतर्गत - मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा निम्नलिखित संविभागों को शामिल किया गया है :
 - 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियाँ ।
 - 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों की प्रतिभूतियों की प्रतिरक्षा के लिए और व्यापार के लिए डेरीवेटिव्स निष्पादित किए गए।
- जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक और अन्य अनुबंधियों के संबंधित बोर्डों के अनुमोदन के आधार पर बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी)/मध्य कार्यालय खोले गए हैं।
- बाजार जोखिम विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध में बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।
- प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है:
 - निवेश नीति
 - सरकारी प्रतिभूतियों, कारपोरेट बाण्ड्स और ईक्विटी के लिए ट्रेडिंग नीति।
 - डेरीवेटिव्स ट्रेडिंग नीति
 - फॉरेक्स ट्रेडिंग नीति
 - जोखिम मूल्य नीति
 - तनाव परीक्षण नीति
 - ग्राहक यथातथ्यता एवं उपयुक्तता नीति (डेरीवेटिव्स)
- जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी प्रभावकारिता के बारे में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता है।
- जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।
- फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमाएं (दिन/रात), हानि नियंत्रित सीमाएं, प्रति मुद्रा व्यापार के संबंध में लाभ/हानि की उचित निगरानी रखी जाती है और अपवादात्मक सूचना पर नियमित ध्यान दिया जाता है।
- विभिन्न आस्ति संविभागों के आवधिक अंतरालों पर नियमित तनाव परीक्षण और बैंक परीक्षण किए जा रहे हैं।
- गैर-बैंकिंग अनुबंधियाँ अपने बाजार संबंधित परिचालनों के लिए अपने व्यवसाय क्षेत्रों के अनुरूप और अपने विनियामकों द्वारा अपेक्षित जोखिम प्रबंधन नीतियां रख रही हैं।
- विदेशी बैंकिंग अनुबंधियाँ अपने निवेश-संविभाग की निगरानी उस देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार करती हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रित सीमा और जोखिम सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

31.03.2012 की स्थिति के अनुसार - बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम विनियामक पूँजी अपेक्षा निम्नवत है :

विवरण	(₹ करोड़ में)
	राशि
व्याज दर जोखिम (डेरीवेटिव्स सहित)	: 2,836.01
ईक्विटी स्थिति जोखिम	: 1,432.53
विदेशी विनियम जोखिम	: 108.46
योग :	4,377.00

TABLE DF-7 : (CONTD....)

(n)	Aggregate amount of:	NIL			
		Amount - ₹ in crores			
		Item	Book Value	Market Value	Capital Adequacy
	<ul style="list-style-type: none"> the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands. 				
	<ul style="list-style-type: none"> securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type). 	Security Receipts	150.07	39.71	NIL*
* In terms of RBI guidelines, ₹19.86 crores (being 50% of the Market Value of investment in Security Receipts) has been deducted from the Tier I capital. The remaining 50% has been deducted from Tier II capital.					

TABLE DF- 8

MARKET RISK IN TRADING BOOK

Disclosures for Banks using the Standardised Duration Approach

Qualitative disclosures – Domestic Banking entities:

- 1) The following portfolios are covered by the Standardised Duration Approach for calculation of Market Risk:
 - Securities held under the Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) categories.
 - Derivatives trades are undertaken for hedging HFT & AFS securities as well as for trading purposes.
- 2) Market Risk Management Department (MRMD)/Mid-Office have been put in place based on the approval accorded by the respective Boards of Banks and other subsidiaries for Risk Management.
- 3) Market Risk Department is responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of Risk associated with Treasury operations.
- 4) The following Board approved policies with defined Market Risk Management parameters for each asset class are in place:
 - a) Investment Policy;
 - b) Trading Policy for G-sec, Corporate Bonds and Equity;
 - c) Derivative Trading Policy;
 - d) Forex Trading Policy;
 - e) Value-at-Risk Policy;
 - f) Stress Test Policy;
 - g) Customer Appropriateness and Suitability Policy (derivatives)
- 5) Risk monitoring is an ongoing process and risk profiles are analysed and their effectiveness reported to the Market Risk Management Committee, Risk Management Committee of the Board and Top Management at regular intervals.
- 6) Risk Management and Reporting is based on parameters such as Modified Duration, Price Value Basis Point (PVB), Maximum Permissible Exposures, Net Open Position Limit, Gap Limits, Value at Risk (VaR) etc., in line with the global best practices.
- 7) Forex open position limits (Daylight/Overnight), Stop Loss limit, Profit/Loss in respect of Cross Currency trading are properly monitored and exception reporting is regularly carried out.
- 8) Regular stress testing and back testing for various asset portfolios are being done at periodical intervals.
- 9) Non-Banking subsidiaries for their market related operations are having risk management policies as appropriate to their business lines and as required by their regulators.
- 10) Overseas Banking subsidiaries are responsible for risk monitoring of their investment portfolio as per the local regulatory requirements through the Board approved Investment and Market Risk Management policies. Stop loss limit for individual investments and exposure limits for certain portfolios have been prescribed.

Quantitative disclosures:

Minimum Regulatory Capital requirements for market risk as on 31.03.2012 is as under:

(₹ in crores)

Particulars	Amount
Interest Rate Risk (Including Derivatives)	: 2,836.01
Equity position risk	: 1,432.53
Foreign exchange risk	: 108.46
Total:	4,377.00

तालिका डीएफ - 9 : परिचालन-जोखिम

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसके प्रत्येक सहयोगी बैंक में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है।
- अन्य समूह इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का व्यवसाय मॉडल की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में निपटारा किया जा रहा है।

ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां

भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में निम्नलिखित नीतियां लागू हैं :

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, जिसमें परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना शामिल है, बैंक में लागू है।
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी) बैंक में लागू है।
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल) उपाय बैंक में लागू है।
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है।
- आउटसोर्सिंग नीति नये उत्पाद को शुरू करने से पहले उसकी पुनरीक्षा करने के लिए समग्र उत्पाद पुनरीक्षा समिति गठित की गई है।

देशी गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयों

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित नीतियां लागू हैं। विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीति लागू है। आपदा निराकरण योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि कुछ नीतियां बैंक में लागू हैं।

ग. कार्यनीतियां और प्रक्रियाएँ :

देशी बैंकिंग इकाइयों में परिचालन जोखिमों के नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

- बैंक द्वारा एक "अनुदेशावली" जारी की गई है, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशानिर्देश और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-संस्कृतियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विचार (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- बैंक द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में सभी कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- जोखिम का प्रबंध बेहतर ढंग से करने के लिए परिचालन जोखिमों के कारण होने वाले नुकसानों का एक व्यापक आंकड़ा आधार तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- शाखाओं से हानि करीबी मामलों सहित हानि के आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक वैब आधारित टूल तैयार किया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण - परिचालन जोखिम की जानकारी बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केंद्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में शामिल की गई है।
- धोखाधड़ियों को छोड़कर बैंक द्वारा भावी परिचालन जोखिम वाले अधिकांश मामलों के लिए बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखापरीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। वे आकड़ों की वैधता के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- वेब आधारित जोखिम और नियंत्रण स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) प्रक्रिया की देशी शाखाओं और केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्रों में शुरुआत की जा रही है, ताकि बैंक में परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन, नियंत्रण और न्यूनीकरण किया जा सके। भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों में आरसीएसए प्रक्रिया में आकलित उच्च जोखिम परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक में व्यापक परिचालन जोखिमों का विस्तृत आकलन फोकस ग्रुप द्वारा किया जाता है। इस फोकस ग्रुप में नियंत्रक कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। ये ग्रुप सम्पूर्ण बैंक में कार्यान्वयन करने हेतु नियंत्रण एवं (जोखिम) कम करने के उपाय भी सुझाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक में बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए मंडलों में जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है।
- व्यवसाय विघटन और प्रणाली विफलताओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, बैंक (एसबीआई) और सहयोगी बैंकों ने एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली लागू की है जिसमें नियमित अंतरालों पर योजनाओं का परीक्षण करना शामिल होता है।
- एडवॉरसड मेजरमेंट अप्रोच (एएमए) के अंतर्गत यथा आवश्यक परिचालन जोखिम की मात्रा निर्धारित करने और उसकी निगरानी करने के लिए बैंक (एसबीआई) और सहयोगी बैंक पूर्ण विकसित आंतरिक प्रणालियां शुरू करने वाले हैं।

देशी गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयों

प्रणाली, कार्यविधि और रिपोर्टिंग के माध्यम से पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।

घ. जोखिम रिपोर्ट करने एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति-

- धोखाधड़ी पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली बैंक में लागू है।
- निवारक सर्वेक्षा की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी व्यवसाय इकाइयों में स्थापित की गई है।
- आरसीएसए कार्य में पता लगायी गई महत्वपूर्ण जोखिमों और गुप्त हुए आंकड़ों के बारे में शीर्ष प्रबंधन को नियमित रूप से सूचित किया जाता है।
- दिनांक 31.03.2012 के लिए, परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभाव के साथ मूल संकेतक पद्धति अपनायी गयी है।

तालिका डीएफ-10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की निवल ब्याज आय तथा उसकी आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से संबंधित है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमा राशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल हैं। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियां आती हैं। तुलन-पत्र की स्थिति के आधार पर बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरें बैंक को प्रभावित करती हैं। ब्याज दर जोखिम बैंक के तुलन-पत्र की आस्ति एवं देयता दोनों तरफ रहता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन-पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियां एवं कार्यविधियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अतः आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिभागों, निधायन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमा राशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में ब्याज दर में समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होनेवाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिजर्व बैंक ने अवधि अंतर विश्लेषण के दौरान ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक तिमाही अंतराल पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से इक्विटी के बाजार मूल्य पर पड़ने वाले ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। इक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 1% समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान किया जाता है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है :

ब्याज दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
इक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	20%

1.4 बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूंजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूंजी एवं आरक्षितियां ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. एसबीआई समूह के परिमाणान्तरक प्रकटीकरण

क. जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय पर प्रभाव	4,128.29

ख. इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्तियों और देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का इक्विटी बाजार मूल्य (एमवीई) पर प्रभाव	4,747.06

TABLE DF-9 : OPERATIONAL RISK

A. The structure and organization of Operational Risk Management function

- The Operational Risk Management Department is functioning in SBI as well as Associate Banks (ABs) as part of the Integrated Risk Governance Structure under the control of respective Chief Risk Officer.
- The operational risk related issues in other Group entities are being dealt with as per the requirements of the business model and their regulators under the overall control of Chief Risk Officers of respective entities.

B. Policies for control and mitigation of Operational Risk
The following policies are in place in SBI and ABs:

- Operational Risk Management policy, seeking to establish explicit and consistent Operational Risk Management Framework for systematic and proactive identification, assessment, measurement, monitoring, mitigation and reporting of the Operational Risks.
- Policy on Business Continuity Planning (BCP).
- Policy on Know Your Customer (KYC) Standards and Anti Money Laundering (AML) Measures.
- Policy on Fraud Risk Management.
- Outsourcing Policy.

In addition, Overall Product Vetting Committee for vetting of new products is in place. **Domestic Non-Banking and Overseas Banking entities**
Policies as relevant to the business model of Non-Banking entities and as per the requirements of the overseas regulators in respect of Foreign Banking subsidiaries are in place. A few of the policies in place are – Disaster Recovery Plan/ Business Continuity Plan, Incident Reporting Mechanism, Outsourcing Policy, etc.

C. Strategies and Processes
The following measures are being used to control and mitigate Operational Risks in the Domestic Banking entities:

- "Book of Instructions", which contains detailed procedural guidelines for processing various banking transactions. Amendments and modifications to update these guidelines are being carried out regularly through e-circulars. Guidelines and instructions are also propagated through Job Cards, e-Circulars, Training Programs, etc.
- Manuals and operating instructions relating to Business Process Reengineering (BPR) units.
- Delegation of Financial powers, which details sanctioning powers of various levels of officials for different types of financial transactions.
- The process of building a comprehensive database of losses due to Operational Risks has been initiated, to facilitate better risk management.
- A web-based tool for collecting loss data, including Near Misses, from Branches has been developed to facilitate better risk management.
- Training of staff - Inputs on Operational Risk is included as a part of Risk Management modules in the training programmes conducted for various categories of staff at Bank's Apex Training Institutes and Staff Learning Centers.
- Insurance cover is obtained for most of the potential operational risks excluding frauds.
- Internal Auditors are responsible for the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the control systems and the functioning of specific control procedures. They also conduct review of the systems established to ensure compliance with legal and regulatory requirements, codes of conduct and the implementation of policies and procedures. They are also responsible for validation of data.
- Web-based Risk and Control Self Assessment (RCSA) process has been rolled out for identification, assessment, control and mitigation of Operational Risks. Top risks identified in the RCSA exercises are being reported to Operational Risk Management Committee (ORMC) in SBI and ABs.
- In SBI, detailed assessment of significant Operational Risks is conducted by Focus Groups consisting of senior officials at Controlling Offices. These Groups also suggest control and mitigation measures for implementation across the Bank.
- In SBI, Risk Management Committee has been constituted in the Circles for better Operational Risk Management.
- In order to minimize the impact of business disruptions and system failures, the Bank (SBI) and ABs have robust Business Continuity Management in place, which includes testing the efficacy of the plans at regular intervals.
- The Bank (SBI) and ABs proposes to be ready with fully developed internal systems for quantifying and monitoring operational risk as required under Advanced Measurement Approach (AMA). The Bank (SBI) and ABs propose to apply for migration to AMA to RBI this year.

Domestic Non-Banking and Overseas Banking entities
Adequate measures by way of systems and procedures and reporting has been put in place.

D. The scope and nature of Risk Reporting and Measurement Systems –

- A system of prompt submission of reports on Frauds is in place in all the Group entities.
- A comprehensive system of Preventive Vigilance has been established in all the Group entities.
- Significant risks thrown up in RCSA exercise and loss data are reported to Top Management at regular intervals.
- For 31.03.2012, Basic Indicator Approach with capital charge of 15% of average gross income for previous 3 years is applied for Operational Risk except Insurance Companies.

TABLE DF-10
INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

1. Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk:
Interest rate risk refers to impact in Bank's Net Interest Income and the value of its assets and liabilities arising from fluctuations in interest rate due to internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, interest rate and repricing period of deposits, borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on Balance Sheet positioning. Interest rate risk is prevalent on both the asset as well as the liability sides of the Bank's Balance Sheet.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) is responsible for evolving appropriate systems and procedures for ongoing identification and analysis of Balance Sheet risks and laying down parameters for efficient management of these risks through Asset Liability Management Policy of the Bank. ALCO, therefore, periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates, and directing the investment activities of the Bank. ALCO also develops the market risk strategy by clearly articulating the acceptable levels of exposure to specific risk types (i.e. interest rate, liquidity etc). The Risk Management Committee of the Board (RMCB) oversees the implementation of the system for ALM and reviews its functioning periodically and provide direction. It reviews various decisions taken by Asset - Liability Management Committee (ALCO) for managing interest risk.

1.1 RBI has stipulated monitoring of interest rate risk through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Repricing Gaps) to be prepared at monthly intervals. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis and monitors the Earnings at Risk (EaR) which measures the change in net interest income of the Bank due to parallel change in interest rate on both the assets and liabilities.

1.2 RBI has also stipulated to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities through Interest Rate Sensitivity under Duration Gap Analysis (IRSD). Bank also carries out Duration Gap analysis as stipulated by RBI at quarterly intervals. The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity (MVE) is monitored through Duration Gap Analysis by recognizing the changes in the value of assets and liabilities by a given change in the market interest rate. The change in the value of equity (including reserves) with 1% parallel shift in interest rates for both assets and liabilities is estimated.

1.3 The following prudential limits have been fixed for monitoring of various interest risks:

Changes on account of Interest rate volatility	Maximum Impact (as % of Capital and Reserves)
Changes in Net Interest Income (with 1% change in interest rates for both assets and liabilities)	5%
Change in Market value of Equity (with 1% change in interest rates for assets and liabilities)	20%

1.4 The prudential limit aims to restrict the overall adverse impact on account of interest rate risk to the extent of 20% of capital and reserves, while part of the remaining capital and reserves serves as cushion for other risks.

2. Quantitative Disclosures for SBI Group

A. Earnings at Risk (EaR)
(₹ in crores)

Particulars	Impact on NII
Impact of 100 bps parallel shift in interest rate on both assets and liabilities on Net Interest Income (NII)	4,128.29

B. Market Value of Equity (MVE)
(₹ in crores)

Particulars	Impact on MVE
Impact on 100 bps parallel shift in interest rate on both assets and liabilities on Market Value of Equity (MVE)	4,747.06

डीएफ - समूह जोखिम
समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण		
समूह की कंपनियों के संबंध में * [विदेश में स्थित बैंकिंग कंपनियाँ, देश में स्थित बैंकिंग कंपनियाँ और गैर-बैंकिंग कंपनियाँ]		
सामान्य विवरण		
कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस की श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है।	
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी कंपनियों ने प्रकटीकरण से संबंधित श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाया है / उनका अनुपालन कर रही हैं।	
समूह के भीतर किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में तात्कालिक नीति का पालन	स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन तात्कालिक आधार पर निष्पादित किए गए हैं चाहे उनके कारोबारी जोखिम प्रबंधन का मामला हो या प्रतिभूतियों के प्रावधान आदि का मामला हो।	
साझा विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि समूह की कंपनियाँ साझे विपणन, ब्रांडिंग में एसबीआई के नाम का अव्यक्त ढंग से उपयोग कर रही हैं।	
वित्तीय सहायता का ब्योरा, यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है / न ही प्राप्त की है।	
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।	
<p># समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए हैं:</p> <p>क) समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;</p> <p>ख) समूह की इकाइयों को जिस तात्कालिक नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;</p> <p>ग) समूह के भीतर अलग अलग कंपनियों की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना;</p> <p>घ) पूंजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;</p> <p>ड) 'प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तों' को लागू करना जिनके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई किसी वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।</p> <p>*सम्मिलित कंपनियाँ</p>		
बैंकिंग-देश में स्थित	बैंकिंग-विदेश में स्थित	गैर-बैंकिंग
भारतीय स्टेट बैंक	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	भारतीय स्टेट बैंक (मारीशस)	एसबीआई डीएफएचआई लि.
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एलएलसी, मास्को	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि.
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	पी टी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.
		एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
		एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा.लि.
		एसबीआई एसजी ग्लोबल सिन्क्युरिटीज सर्विसेस प्रा. लि.

DF - GR
Additional Disclosures on Group Risk

Qualitative Disclosure		
In respect of Group entities * [Overseas Banking entities, Domestic Banking entities and Non-Banking entities]		
General Description on		
Corporate Governance Practices	All Group entities adhere to good Corporate Governance practices.	
Disclosure Practices	All Group entities adhere to / follow good disclosure practices.	
Arm's Length Policy in respect of Intra Group Transactions	All Intra-Group transactions within the State Bank Group have been effected on Arm's Length basis, both as to their commercial terms and as to matters such as provision of security.	
Common marketing, branding and use of SBI's Symbol	No Group entity has made use of SBI symbol in a manner that may indicate to public that common marketing, branding implies implicit support of SBI to the Group entity.	
Details of Financial Support#, if any	No Group entity has provided / received Financial Support from any other entity in the Group.	
Adherence to all other covenants of Group Risk Management Policy	All covenants of the Group Risk Management Policy have meticulously been complied with by the Group entities.	
<p># Intra-group transactions which may lead to the following have been broadly treated as 'Financial Support':</p> <p>a) inappropriate transfer of capital or income from one entity to the other in the Group;</p> <p>b) violation of the Arm's Length Policy within which the Group entities are expected to operate;</p> <p>c) adverse impact on the solvency, liquidity and profitability of the individual entities within the Group;</p> <p>d) evasion of capital or other regulatory requirements;</p> <p>e) operation of 'Cross Default Clauses' whereby a default by a related entity on an obligation (whether financial or otherwise) is deemed to trigger a default on itself.</p> <p>* Entities covered</p>		
Banking-Domestic	Banking-Overseas	Non-Banking
State Bank of India	State Bank of India (California)	SBI Capital Markets Ltd.
State Bank of Bikaner & Jaipur	State Bank of India (Canada)	SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd.
State Bank of Hyderabad	SBI (Mauritius) Ltd.	SBI DFHI Ltd.
State Bank of Mysore	Commercial Bank of India LLC, Moscow	SBI Funds Management Pvt. Ltd.
State Bank of Patiala	Nepal SBI Bank Ltd.	SBI General Insurance Company Ltd.
State Bank of Travancore	PT Bank SBI Indonesia	SBI Global Factors Ltd.
		SBI Life Insurance Co. Ltd.
		SBI Pension Funds Pvt. Ltd.
		SBI SG Global Securities Services Pvt. Ltd.